

सैद्धान्तिक-प्रश्नोत्तरी

द्रव्य-सहायक

श्री घीसूलालजी दूलीचन्दजी बागमार

•

व्यवसाय-केन्द्र

के० घीसूलाल एण्ड क०
१०, चन्द्रपना मुहली स्ट्रीट,
साहूकार पैठ
मद्रास-१

मै० केवलचन्द घीसूलाल
बागमार
कोसाणा (जोधपुर)

श्रीमज्जैनाचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज सा० के २०२६ के
कोसाणा चातुर्मास की पावन स्मृति मे

नाम पुस्तक

सैद्धान्तिक प्रश्नोत्तरी

•

सशोधक सम्पादक

कन्हैयालाल लोढा, एम० ए०

•

प्रकाशक

श्री सम्यक् ज्ञान प्रचारक मण्डल

वारह गणगौर का रास्ता,

जयपुर-३

•

द्वितीय संस्करण १०००

•

मूल्य एक रुपया मात्र

(ज्ञान ग्याते)

प्रकाशकीय

२६ वर्षों से जैनाचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म सा के णेरणारूप आशीर्वाद से स्वाध्याय सघ निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है। प्रतिवर्ष मुनिराजो व महासतियो के चातुर्मास से वचित क्षेत्रो मे पर्युषणपव के दिनों मे स्वाध्यायी श्रावको को भेजकर अन्तगड दशाग सूत्र का वाचन आदि आवश्यक जानकारी देने का प्रबन्ध किया जाता है। गर्मियो मे स्थान-स्थान पर शिविर लगाकर देश के भावी निर्माता बालवृन्द को जैनधम के सिद्धान्तो के अतुरूप नैतिक शिक्षा दी जाती है। स्वाध्यायियो और शिविरार्थियो के लिए प्रस्तुत पुस्तक बडी उपयोगी है।

प्रस्तुत सैद्धान्तिक प्रश्नोत्तरी के द्वितीय सस्करण के प्रकाशन मे श्री घीसूलालजी वागमार ने विशेष रुचि दिखाई है। श्री वागमार कोसाणा निवासी है। आपके पिता स्वर्गीय श्री केवलचन्दजी वागमार अपने ग्राम के प्रमुख श्रावक थे। आपके माताजी स्वर्गीय श्री किस्तूर वाई जी की सरलता व सादगी प्रशसनीय थी। श्री घीसूलालजी वागमार बडे ही भावनाशील, श्रद्धालु, सामाजिक कार्यों मे रुचि रखने वाले उदार सद्गुहस्थ हैं। आप स्वाध्यायप्रेमी हैं और पर्युषण पर्वाराधना कराकर समाज को लाभान्वित करते रहते हैं। आप आचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म सा का कोसाणा चातुर्मास की विनती करने वाले प्रमुख श्रावको मे से है। आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री रेखचन्दजी सा एव सुपुत्र श्री दुलीचन्दजी सा ने भी चातुर्मास मे सेवा का सराहनीय लाभ लिया है। आपने इस चातुर्मास की प्रसन्नता मे प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशन मे व्यय होनेवाली सम्पूर्ण राशि प्रदान की इस सहायता का मण्डल हादिक अभिनन्दन करता है। श्री कन्हैया

लोढा ने सशोधन एवं सम्पादन कर इस पुस्तक को नवरूप प्रदान किया
एतदर्थं धन्यवाद ।

अन्त मे प्रस्तुत पुस्तक के प्रूफ रीडिंग आदि मे श्री पार्श्व-
कुमारजी मेहता ने भावनापूर्ण सहयोग दिया एतदर्थं मण्डल आपका भी
अत्यन्त आभारी है ।

सुज्ञेपु कि वहता

जयपुर
दिनांक ११-११ ७२

भवदानुरत
नयमल हीरावत

मन्त्री

श्री सम्यक् ज्ञान प्रचारक मण्डल,
जयपुर-३

शुभाकर

श्रीमज्जैनाचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज सा० बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी ज्ञान-गरिमा, चारित्रिक महिमा एव प्रवचन मधुरिमा से जैन-जगत का प्रत्येक श्रावक परिचित है, साठ वर्ष से अधिक आयु होने पर भी प्रातः काल से सायंकाल तक अथक परिश्रम करके आप जो श्रुत की महती सेवा कर रहे हैं, यह इतिहास में उल्लेखनीय है। आप सतत साधना में निरत रहते हुए भी समाज की सर्वाङ्गीण उन्नति के लिए भी सदैव सचेष्ट रहते हैं। समाज में चारित्र्य की उन्नति के लिए व्रत-प्रत्याख्यान व सामायिक साधना की तथा दर्शन-बुद्धि व ज्ञान वृद्धि के लिए स्वाध्याय की आप सबको बराबर प्रेरणा देते रहते हैं। आपसे प्रेरणा पाकर अग्रणीत व्यक्ति सामायिक व्रतधारी एव स्वाध्यायी बने हैं और साधना-क्षेत्र में प्रवेश किया है।

आपकी प्रेरणा एव स्वर्गीय महार केमरी परमपूज्य स्वामी श्री पन्नालालजी म० सा० व उनके शिष्य ज्योतिर्विद प० रत्न श्री कुन्दनमलजी म० सा० की प्रेरणा से बने लगभग ढाईसौ स्वाध्यायी श्रावकों ने इस वर्ष एकसौ बीस से भी अधिक स्थानों पर जाकर पदपूर्णा

पर्व में शास्त्र-वाचन एवं धर्मादायना कराते हुए समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की है । स्थानकवासी समाज के लिए वस्तुतः यह एक महती देन है ।

आचार्य श्री ने स्वाध्यायी बन्धुओं की ज्ञान-वृद्धि के लिए प्रारम्भ में ही महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है । आगम शास्त्रों पर आपकी टीकाएँ आदि विद्वान व तत्त्वज्ञ पाठकों के लिए विशेष उपयोगी हैं तो प्रवचन व स्तवन साहित्य सामान्य एवं विद्वान सभी जनों के लिए रुचिकर व उपयोगी है ।

आपके द्वारा रचित पयू पण-पर्व-पदावली, पयू'पण-पर्व-साधना आदि पुस्तकों का धार्मिक-शिक्षण-शिविरो में भारी स्वागत किया गया है ।

प्रस्तुत पुस्तक 'सैद्धान्तिक प्रश्नोत्तरी' भी इसी श्रेणी का ग्रन्थ है । इसका प्रथम संस्करण मडल ने भोपालगढवासी स्व० श्री जोगीदासजी, जालमचदजी बाफला के परिवार की द्रव्य सहायता से निकाला था । इसमें आचार्य श्री के प्रश्नोत्तरी के साथ श्री पारसमुनिजी द्वारा लिखित श्री श्रतगटसूत्र के प्रश्नोत्तरों का भी यथा स्थान सकलन किया था । इसका संपादन समाज के उत्साही, कर्मठ विद्वान श्री पारसमलजी 'प्रसून' एम ए., साहित्य-रत्न ने किया था । यह संस्करण स्वाध्यायियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ और शीघ्र ही समाप्त हो गया । पुस्तक की माग बढ़ती जा रही थी तथा कतिपय सामयिक नवीन प्रश्न भी सामने आए । आचार्य श्री से इन पदनों का समाधान लिया गया तथा पूर्व प्रकाशित प्रश्नोत्तरों का भी पुनरावलोकन कर उनमें संवर्धन किया गया । इस दूसरे संस्करण में सैद्धान्तिक प्रश्नोत्तरों का यही परिवर्धित रूप आपके ममक्ष प्रस्तुत है ।

सैद्धान्तिक प्रश्नोत्तरी में दो खण्ड हैं । प्रथम खण्ड में पाठकों के हृदय में उठने वाले तात्त्विक, दार्शनिक एवं वर्तमान युग से सम्बन्धित

प्रश्नों के उत्तर है। द्वितीय खण्ड में, जो श्रावक पयूषण पर्वाराधनार्थ बाहर जाते हैं और वहाँ अतगड सूत्र का वाचन करते हैं उस समय उनके समक्ष जो प्रश्न उपस्थित हैं उनका समाधान है। प्रश्नों का समाधान तर्क-सम्मत एवं युक्तियुक्त है। समाधान में प्रयुक्त भाव, भाषा व शैली सभी सुन्दर एवं सरस हैं।

गहन प्रश्नों का उत्तर सरल भाषा व सक्षिप्त में होने से यह ग्रन्थ पहले से ही अति उपयोगी है परन्तु इस सस्करण में आधुनिक नवीन प्रश्नोत्तरों को और जोड़ देने से ग्रन्थ की उपयोगिता पहले से अधिक बढ़ गई है। आशा है पाठक प्रथम सस्करण से भी इस सस्करण का अधिक समादार करेंगे तो मडल सम्यक् ज्ञान के प्रचारार्थ भविष्य में भी भव्य व नव्य कृतिया प्रकाशित कराकर पाठकों की सेवा अविकाधिक कर सकेगा।

कोसाना (मारवाड)
स० २०२६ चातुर्मास
दीपावली,
५-११-१९७२

विनीत
कन्हैयालाल लोढा
एम.ए

== प्रश्न सूची ==

प्रथम खण्ड

तात्त्विक एवं सामयिक प्रश्नोत्तर

प्रश्न	पृष्ठ
१—समय क्या है व कब से है ?	१
२—ईश्वर को एक मानना एवं ममस्त जीवों को एक ही ईश्वर का अंग मानना वहाँ तक उचित है ?	३
३—ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसे जगतकर्ता मानने में क्या आपत्ति है ?	५
४—क्या वैदिक परम्परा में भी आत्मा के दो रूप माने गये हैं ?	८
५—ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है ?	९
६—जब ईश्वर कुछ देता नहीं है तो फिर उगवा भजन करने से क्या लाभ है ?	११
७—जैन धर्म में नाम स्मरण का महत्त्व किस दृष्टि में और किस प्रकार का है ?	१३
८—यदि नाम बदनीय नहीं है तो फिर नाम, आकार, द्रव्य और भाव निर्दोष का क्या उपयोग है ?	१४
९—धर्म और जाति एक हैं या अलग-अलग ?	१८
१०—जैन धर्म के अनुसारी जीव की जातियाँ कितनी हैं ?	१९

- ११—मनुष्य समाज में जाति की उत्पत्ति व विस्तार कैसे हुआ ? २०
- १२—कहा जाता है कि संप्रदाय बुरा नहीं है मसप्रदायवाद बुरा है, यह कथन कहाँ तक उचित है ? २१
- १३—सब धर्मों के अनुयायी अपने-अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताते हैं, फिर यह निर्णय कैसे किया जाय कि अमुक धर्म श्रेष्ठ है ? २३
- १४—सब पदार्थों की पर्यायें क्रम-वृद्ध एवं नियत हैं, पुरुषार्थ द्वारा उनमें कुछ भी न्यूनाधिक नहीं किया जा सकता है, यह कहा तक सही है ? २५
- १५—साधुओं को वस्त्र उज्ज्वल न रखना, नित्य एक घर में भिक्षा नहीं लेना इत्यादि बाह्य क्रियाकाण्डों में उलझने की अपेक्षा कपायों पर विजय मिलना ही धर्म है, क्या ऐसा विचार ठीक है ? २६
- १६—जैन धर्म में श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद कब से है, दोनों की किन-किन मान्यताओं में क्या-क्या अन्तर है ? २८
- १७—क्या भगवान् ममवसरण में स्वयं वाणी फरमाते थे या उनके मुख से केवल ध्वनि निकलती थी जिसे देव दृभापिये के रूप में धोल कर श्रोताओं को समझाने थे ? ३१
- १८—अधिक लोगों को धार्मिक लाभ पहुँचाने के लिए ध्वनिवर्द्धन यत्र से प्रतिक्रमण कराया जाय व प्रवचन दिया जाय तथा धर्मराषता के समय विद्युत् पथों का उपयोग किया जाय तो क्या हानि है ? ३३
- १९—आत्मा ही परमात्मा है तो फिर जय-जिनेन्द्र के बजाय जय-जन द्वारा अभिवादन किया जाय तो क्या बाधा है ? ३५
- २०—धर्म वाए नूतनों के प्रामाणिक एवं धर्मनाशक मानने में जोलघाह ने किस मापदण्ड से नाम दिया ? ३७

≡ प्रश्न सूची ≡

प्रथम खण्ड

तात्त्विक एव सामयिक प्रश्नोत्तर

प्रश्नांक	प्रश्न	पृष्ठ
१—	ससार क्या है व कब से है ?	१
२—	ईश्वर को एक मानना एव समस्त जीवों को एक ही ईश्वर का अंश मानना गृहीतक उचित है ?	३
३—	ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसे जगतकर्ता मानने से क्या आपत्ति है ?	५
४—	नया वैदिक परम्परा में भी आत्मा के दो रूप माने गये हैं ?	८
५—	ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है ?	९
६—	जब ईश्वर कुछ देता नहीं है तो फिर उसका भजन करने से क्या लाभ है ?	११
७—	जैन धर्म में नाम स्मरण का महत्त्व किस दृष्टि में और किस प्रकार का है ?	१३
८—	यदि नाम चन्दनीय नहीं है तो फिर नाम, आकार, द्रव्य और भाव निक्षेप का क्या उपयोग है ?	१४
९—	धर्म और जाति एक है या अलग-अलग ?	१८
१०—	जैन धर्म के अनुसार जीव की जातियाँ कितनी हैं ?	१९

- २१—अम्बाध्याय क्या है ? कितनी, कौन-कौन एव उनका क्या काल है ? ३८
- २२—क्या अम्बाध्याय में वतमान युगानुकूल कुछ परिवर्तन किया जा सकता है ? ४३
- २३—अम्बाध्याय के समय शास्त्र के मंगल-पाठ से वचित रखने के पीछे क्या अभिप्राय है ? ४५
- २४—शास्त्रीय दृष्टि में धोवन या अचित्त जल कैसा होना चाहिए ? ४८
- २५—धोवन जल कितने प्रकार का और कैसा ग्रहण करने योग्य होता है, अचित्त जल की पहचान क्या है ? ५०
- २६—धोवन को कच्चा जल व गर्म जल को सदोष मानना कहाँ तक उचित है ? ५२
- २७—कच्चा जल पीने में जैम हिमा होती है वैसे ही गर्म या शीत करने में भी जल-काय के या अग्नि के जीवों की हिंसा होती है फिर कच्चा जल न पीकर उसको अचित्त बनाकर पीने में क्या नान ? ५४
- २८—मुनि पाठ-पाठल और शीघ्र की तरह चन्द्र-पात्र आदि भी जहाँ आवश्यकता पड़े वे तैय्य और उपयोग कर पुन गृहस्थ का भवना देय, तो क्या दाय है ? ५४
- २९—सर्वाँ वा ग्यारहवाँ पीपय का क्या स्वरूप है ? ५७
- ३०—दृष्ट योग दसवाँ पीपय नहीं मानते हैं, केवल ग्यारहवाँ ही मानते हैं, यह कहीं तक ठीक है ? ५८
- ३१—शापना के समय मन वा शर-उपर भटकना कौन-कौन से काम ही ? ६०

द्वितीय ड

अतगड दशाग के प्रश्नोत्तर

प्रश्नाक	प्रश्न	पृष्ठ
१—	भ० नेमिनाथ के छ मुनी तीन सघाडे बनाकर भिक्षा के लिए गए, क्या पूर्व समय मे सारे श्रमणो की एक गोचरी नही होती थी ?	६५
२—	शास्त्र मे उच्च, नीच और मध्यम कुल की भिक्षा का वर्णन आता है, इसका क्या अभिप्राय है ?	६६
३—	देवकी के पुत्रो का हरिरागभेपी देव द्वारा सहरण क्यो क्रिया गया ?	६७
४—	देवकी को भविष्य बताने वाले अतिमुक्त कुमार श्रमण कौन थे ?	६८
५—	अंतगड दशाग मे वर्णित अइमुक्क कुमार और भगवती सूत्रानुसार पानी मे नाव तिराने वाले एवन्ता मुनी एक ही है या अन्य ?	६९
६—	अतिमुक्त कुमार की दीक्षा के समय क्या वय थी और इतनी लघुवय मे भगवान ने दीक्षा कैसे दी ?	७०
७—	मनुष्य अपने कर्मानुसार ही सुख-दुःख भोगता है तो श्रीकृष्ण ने देव से अपने भाई देने की माग क्यो की ?	७१
८—	देव कुछ नही देते तो मुलसा को पुत्र कैसे दिये ?	७३
९—	सम्यग्दृष्टि श्रावक के लिए धार्मिक दृष्टि मे देवाराधना एव तदर्थ तपाराधना करना उचित है क्या ?	७३
१०—	चक्रवर्ती द्वारा देवाराधनार्थं अष्टमत्प करने व श्रावको द्वारा कुलदेवी की पूजा की बात ठीक है या नही ?	७४

- ११—क्या पूर्व समय में स्त्रियाँ समवसरण में नहीं बैठती थी ? ७६
- १२—'ठिञ्चा' पद का आचार्यों ने 'समवसरण' में स्त्रियों को नहीं बैठना' अर्थ किया है, क्या यह स्त्रियों के प्रति हीनता का व्यंजक नहीं है ? ७८
- १३—मोमिल के हृदय में इतना द्वेष क्यों उत्पन्न हुआ कि उसने गजमुकुमान के सिर पर अगारे रख दिये ? ७९
- १४—गजमुकुमाल चरम शरीरी निरूपक्रम आयुवाले थे तो उनके अममय मृत्यु होने का उपक्रम क्यों लगा ? ८०
- १५—क्या श्रीकृष्ण के समय भिन्न जातियों में विवाह होते थे ? ८१
- १६—द्रोणायन द्वारा द्रारिका के विनाश का क्या कारण था ? ८२
- १७—स्थानाग सूत्र में कथित दस जीवों का वर्णन वर्तमान अतगट सूत्र में क्यों नहीं है ? ८५
- १८—श्रीकृष्ण आगामी काल में बारहवें तीर्थंकर होंगे या तेरहवें ? ८५
- १९—अर्जुनमाली द्वारा की गई ११४१ मानव-हत्याओं का पाप अर्जुन को लगा या यक्ष को या अन्य किसी को ? ८६
- २०—दामुञ्जय पर्वत पर कई जीव मिट्टे हुए फिर उसे तीर्थ मानने में क्या बाधा है ? ८७

तत्त्विक एवं तामयिक
प्रश्नोत्तर

मन्त्रो-१।

प्रश्न १ ससार वास्तव मे क्या है ? कब से है ? और कब तक रहेगा ?

उत्तर—जैन शास्त्र के अनुसार (पूर्णाज्ञानी वीतराग के दर्शनानुसार) जीव-अजीव या जड चेतन का सयोग ही वास्तव मे ससार है। इसकी न कोई आदि है न अन्त। हर चीज के वाहरी रूप बदलते रहते है, पर मूल द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानने वाले वैदिक ऋषि भी जीव, ब्रह्म और परमाणु इन तीनों को नित्य मानते है। ॐ जैसे मुर्गी से अण्डा और अण्डे से मुर्गी अनादि परम्परा है। मुर्गी के विना अण्डा नहीं और अण्डे के विना मुर्गी नहीं, वैसे ही जीव-कर्म के सयोग की भी अनादि परम्परा है। वैदिक ऋषि जो ब्रह्म और माया के सयोग से सृष्टि निर्माण की बात कहते है, वह ब्रह्म भी कोई दूसरा नहीं, जीव ही है और पुद्गल ही माया अथवा जड प्रकृति है। दोनों का सयोग ही विश्व की विचित्रता एव विविधता का कारण है।

शास्त्र मे कहा है —

किमिय भते ! लोएति पवुच्चइ ? गोयमा । पचत्थि-
काया, एस रा एवतिए लोएत्ति पवुच्चइ, तजहा-धमत्थि-काए
अहम्मत्थिकाए जाव पोग्गलत्थिकाए ।

—भगवती सूत्र श० १३।४

ॐ देखिये ऋग्वेद भाष्य भूमिका — ऋषि दयानन्द

प्रश्न २. गुरुदेव ! वैदिक शास्त्र ईश्वर को एक बताता है और सत्तार के समस्त जीवों को ईश्वर का अंश रूप मानता है। इसमें वस्तुस्थिति क्या है ? इससे अवगत कराने की कृपा करें।

पृथक् बोलें जाते हैं एवं उन सत्र के गुण, धर्म और आकार भी अलग-अलग दिखाई देते हैं। सामान्य दृष्टि जहाँ वस्तु के सामान्य रूप का परिचय देती है। विशेष दृष्टि वहाँ पर वस्तु की विशेषताओं, वारिक्रियों और खूबियों का दिग्दर्शन कराती हुई सामान्य से उन्हें पृथक् कर देती है। इसी प्रकार ईश्वर या जीव गुणधर्म की समानता में एक है और व्यक्ति भेद से भिन्न है। वीतराग वाणी एकान्त एक या एकान्त अनेक नहीं मानती। वहाँ “एगे मिद्धे” पद से ईश्वर को एक और “अग्रन्ता सिद्धा अग्रता अमिद्धा” से अनन्त भी कहा है।

जीवों को ईश्वर का अंश मानने में यह वाधा आती है कि जो जिसका अंश होता है उसमें अपने अंशों के गुणधर्म से विपरीत गुण नहीं होते। मिश्री के कण में वही मिठास होगा जो मिश्री में है। यह नहीं हो सकता कि मिश्री में तो मिठाम हो और उसके अंश (कण) में कड़वापन। ऐसे ही जीव को ईश्वर का अंश माना जाय तो ईश्वर के निराकुलता और सर्वज्ञता आदि लोकोत्तर गुण जीव में भी होने चाहिये। किन्तु जीव में उसके विपरीत दुःख, शोक एवं आकुलता आदि दोषों के दर्शन होते हैं। अतः समझना चाहिये कि जीव और ईश्वर पृथक्-पृथक् हैं। गीता में श्री कृष्ण ने भी जीव और ब्रह्म (ईश्वर) का स्पष्ट रूप से पृथक् उल्लेख किया है। जैसे—

द्वाविभौ पुरुषौ लौके, क्षरश्चा क्षर एव च ।

क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

अर्थात् ससार में दो तरह के पुरुष हैं एक क्षर तथा दूसरा अक्षर। जिनमें सत्र भूतों को क्षर और ब्रह्म को अक्षर कहा गया है। यदि जीव को ईश्वर का अभिन्न अंश माना जाय

तो वह भी ब्रह्म की तरह शुद्ध, बुद्ध, पूर्ण और अविनाशी होना चाहिये । फिर जो गीता में—

“यद्-यद् विभूतिमत् सत्त्व श्री मद्गुणैर्मैव वा ।
तत् त देवावगच्छत्व, म तेजोऽश-सभवम् ॥”

यहा विभूति मान जीव के लिए ईश्वराश का कथन किया गया है, वह गुणधर्म के अल्प विकसित रूप को ही अश मानकर कहा जाय तो सगत हो सकता है ।

जैसे विशाल श्रुत सागर में अध्ययन करने वाला व्यक्ति, सिन्धु में से बिन्दु पाना मानता है । वह किसी दूसरे का अश नहीं, अपने ही गुण का एक अश प्रकट करना है । यही बात जीव के विषय में भी समझना चाहिये । क्योंकि हर एक जीव में ईश्वर की तरह ज्ञान शक्ति एवं आनन्दादि गुण सत्ता रूप से विद्यमान है । जैसे-जैसे मनुष्य तपश्चर्यादि के द्वारा चिरकाल से अपने ज्ञानादि गुणों पर पड़े हुए आवरण को दूर करता है, वैसे-वैसे ही ज्ञानादि गुणों का अश प्रकट होता रहता है । अद्वैत दृष्टि से जीव को ईश्वर का अश कहा गया है, पर वास्तव में दोनों स्वतंत्र हैं । अपेक्षा से जीव और ईश्वर को भिन्न एवं अभिन्न मानने पर ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है ।

प्रश्न ३ जैन शास्त्र की दृष्टि से ईश्वर या परमात्मा का क्या स्वरूप है ? उसमें जगत् कर्तृत्व क्यों नहीं माना जाता ? स्पष्ट करने की कृपा करें ।

उत्तर—बहुत से लोग कहा करते हैं कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, किन्तु तथ्य यह है कि जैन धर्म ईश्वर को तो मानता है, पर उसे ससार का कर्ता-धर्ता और हर्ता नहीं

मानता । कारण जैन धर्म के अनुसार ईश्वर-परमात्मा सर्वथ वीतराग, सर्वज्ञ एव निष्काम माना गया है । उसमें—
 १ अज्ञान, २ निद्रा, ३ राग, ४ द्वेष, ५ मिथ्यात्व,
 ६ अवरति ७ हास्य, ८ रति, ९ अरति, १० भय,
 ११ शोक, १२ घृणा, १३ काम, १४ दानान्तराय,
 १५ लाभान्तराय, १६ भोगान्तराय, १७ उपभोगान्तराय,
 १८ वीर्यान्तराय । ये १८ दोष नहीं होते । यहा पर ज्ञान,
 श्रद्धा, आनन्द और शक्ति के सम्पूर्ण ऐश्वर्य को धारण करने
 वाला पूर्ण पुरुष ही ईश्वर माना गया है, जो शुद्ध, बुद्ध, पूर्ण,
 कृत-कृत्य, वीतराग और अनन्त शक्ति सम्पन्न होता है । वीत-
 राग होने से परमात्मा रागद्वेषादि मय विचित्र ससार का
 कर्ता नहीं हो सकता ।

जैन धर्म की दृष्टि से अरिहन्त और सिद्ध रूप से देव दो प्रकार के हैं । अरिहन्त देव शरीरधारी होने से उपदेश देते, मुमुक्षु जीव को कल्याण मार्ग में लगाते और कुमार्ग जाने वाले को उपदेश देकर रोकते हैं । इनके चार अघाती कर्म वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र शेष रहते हैं इसलिए अरिहन्त देव साकार होते और उपदेश द्वारा भविजनो का कल्याण करते हैं । परन्तु सिद्ध परमात्मा निरजन-निराकार होने से मात्र ज्ञाता-दृष्टा है । ससार के शुभाशुभ पदार्थ और भले-बुरे कर्मों में वे सिद्ध, केवल ज्ञाता दृष्टा रूप से साक्षी मात्र होते हैं । ज्ञान और आनन्द ही उनका रूप है । जैसा कि आचाराग सूत्र की भाषा में कहा है कि—

“सव्वे सरा णियट्ठ ति, तक्का जत्थ ण विज्जइ । मई तत्थ ण गाहिता, ओए अत्पत्तिट्ठाणस्स खेयन्ने । से ण दीहे ण उस्से ॥”

—आचाराग सूत्र ५-६ अन्तिम सूत्र ।

जिसको कोई शब्द वर्णन नहीं कर सकते, जहा तर्क नहीं पहुँचती, और बुद्धि का भी जहा प्रवेश नहीं, वैसे कर्म-रहित विशुद्ध आत्मा सपूर्ण जगत् जीव के ज्ञाता, दृष्टा व साक्षी होते हैं। कविवर विनयचन्द्र जी ने कहा है—

मन, बुद्ध, वाणी सरस्वती, पहुँचे नहीं रे लिगार ।
साखी लोका-लोकनो, निर्विकल्प निर्विकार ॥
अनन्त जिनेश्वर नित नमू ।

गीताकार श्रीकृष्ण भी इसी भाव को शब्दान्तर से कहते हैं—

न तद् भासयते सूर्यो, न शशाको न पावक ।
यद् गत्वा न निवर्तते, तद्धाम परम मम ॥

कर्तृत्व के वावत भी गीता में कहा है—

न कर्तृत्व न कर्मणि, लोकस्य सृजति प्रभु ।
न कर्म-फल-सयोग, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

अर्थात् ईश्वर न लोक की रचना करता है और न कर्मों का ही सृजन करता है। कर्मफल का सयोग भी ईश्वर नहीं करता, केवल स्वभाव ही सब कुछ करता है।

पृथ्वी में कठोरता, जल में शीतलता, अग्नि में प्रकाशकता और दाहकता, वायु में कम्पन, वनस्पति में हरितपन एवं सरसता स्वभाव से हैं। काटो में तीखापन, मोर की पखो में रंग-विरगापन और खद्योत की पखो में चमकीलापन स्वभाव से ही हैं। कहा भी है—

“कण्टकेषु च तीक्ष्णत्वम्” ।

जैन धर्म की दृष्टि से आत्मा ही मुख-दुःख या विविध

विविधताओं का कर्ता-वर्ता और भोक्ता माना गया है। उक्ति प्रसिद्ध है कि—

“अप्या कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य”

—उ० २४

ससारी आत्मा कर्म का कर्ता-हर्ता है और शुद्ध आत्मा कूटस्थ दृष्टा है। वह कर्म या जगत् का कर्ता नहीं हो सकता।

प्रश्न ४ क्या वैदिक परम्परा में भी आत्मा के दो रूप माने गये हैं ?

उत्तर—वैदिक परम्परा में भी आत्मा के इस प्रकार दो रूप माने गये हैं। जैसे कि गीता में कहा है—

द्वाविमौ पुरुषो लोके, क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षर सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

गीता—अ० १५ गा० १६।

लोक में ये दो प्रकार के पुरुष हैं एक क्षर और दूसरा अक्षर। ससार के सब जीवों को क्षर और कूटस्थ को अक्षर कहा गया है। फिर कहा है—

अनादित्वान्निर्गुणात्वात्परमात्माय अव्यय ।

शरीरस्थोऽपि कौंतेय, न करोति न लिप्यते ॥

गीता—अ० १३ गा० ३२।

अनादि और निर्गुण होने से यह परमात्मा अव्यय है, अतः हे कौन्तेय! शरीर में रहकर भी न यह करता है और न कर्म में लिप्त ही होता है।

ससार के प्राणियों की तरह अक्षर पुरुष जन्म धारण नहीं

करता और न कोई शुभाशुभ कर्म ही करता है। अतः उसे शुभाशुभ का अकर्ता कूटस्थ कहा गया है। वैदिक परम्परा में साध्य दर्शन ने स्पष्ट यह घोषणा की है कि “प्रकृति कर्त्री, पुरुषस्तु पुष्कर पलासवन्निलेप” प्रकृति जिसको माया भी कहते हैं, वही करने वाली है। पुरुष तो कमल-पत्र की तरह निलेप है, वह न किसी का भला करता और न बुरा, केवल बाल रुचि जीवों को प्रभावित करने के लिए ग्रन्थकारों ने आत्मा को ही ईश्वर के रूप से सर्वशक्तिमान् कर्ता समझाया है। वस्तुतः परमात्मा अविकारी होने से अकर्ता है।

यह जो कहा जाता है कि बिना चेतन-पुरुष की प्रेरणा और शक्ति के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता यह क्षर पुरुष की अपेक्षा हो सकता है जो सब में व्यापक है। निरजन निराकार परम-आत्मा रूप ईश्वर मात्र दृष्टा है। राग द्वेष रहित होने से वे किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, फिर पूर्ण एव कृतकृत्य होने से उनको कुछ करना शेष भी नहीं है। अतः जैन शास्त्रों में वीतराग, ईश्वर परमात्मा को ससार के शुभाशुभ का कर्ता नहीं माना जाता है।

प्रश्न ५. जब ईश्वर इस विशाल विश्व का कर्ता नहीं है तो उसके होने में प्रमाण ही क्या है ?

उत्तर—सृष्टि कर्ता नहीं होकर भी पूर्ण होने से परमात्मा-ईश्वर स्वयं सिद्ध है, जो इस प्रकार है —

ससार का नियम है कि गुण से गुणी का ज्ञान होता है, मिश्री, फिटकरी, और हीरा जैसे समान रूप वाले पदार्थ गुण से ही पहचाने जाते हैं। पीतल और सोने का निर्णय भी गुण से ही होता है। पहाड़ में नहीं दिखने पर भी आवाज से मोर

प्रश्न ६ माना कि परमात्मा है, पर जब वे किसी को कुछ देते नहीं और भजने वाले पर प्रसाद और नहीं भजने वाले पर रोष नहीं करते तब फिर उनका भजन क्यों किया जाता, इससे क्या लाभ है ?

उत्तर—यह सही है कि भगवान् किसी को कुछ नहीं देते । भगवान् ही क्या, कोई भी किसी को कुछ नहीं देता । शरीर-धारी भी एक दूसरे के लिए मात्र निमित्त होता है । भगवान् देते नहीं फिर भी भगवान् के भजन-स्मरण से यह निश्चित है कि आत्मा लाभान्वित होता है । जैसे कमल वन और हरियाली को प्रतिदिन देखते रहने से नेत्र की ज्योति बढती और तरी मिलती है । वायु सेवन से आरोग्य लाभ होता है और सूर्य किरण से जीवन मिलता है । यहा कमल, वायु और सूर्य-किरण क्रिया नहीं करते । सहज अपने गुण-धर्म का प्रकाश करते हैं । फिर भी विधि से सेवन करने वाले लोग लाभ प्राप्त करते हैं और अविधि सेवन करने वाले हानि ।

इसी प्रकार शुद्ध-बुद्ध परमात्मा भी किसी को कुछ नहीं देते हुए भी ध्यान करने वाले के शान्ति लाभ मे निमित्त होते हैं । स्मरण से होने वाले लाभ इस प्रकार है —

सर्वप्रथम तो भजन-स्मरण करने वाला जितने समय तक भजन करता है, उतने समय तक हिंसा असत्य कलह आदि दुष्कर्मों से वचा रहता है । वह निन्दा, भूठ और कलहकारी वचन नहीं बोलेगा, शरीर का भटकना भी नहीं होगा । मनो-योग मे कुछ काल शुभ-भावना रहेगी । इस प्रकार बाणी एव तन के शुभयोग से वह पुण्य लाभ करेगा । बाह्य कारणों से दिमाग हटने के कारण साधक तात्कालिक शान्ति भी प्राप्त करेगा । मन हल्का रहेगा-चिन्ता भूल जायगा । शुद्ध आदर्श

का लक्ष्य होने से जीवन में कुछ सत्कर्म की प्रेरणा भी प्राप्त होगी। इस प्रकार जैन धर्म परमात्मा में निमित्त रूप होने से व्यवहार में औपचारिक कर्तृत्व मानता है। वस्तुतः परमात्मा स्वयं क्रियापूर्वक कर्ता, हर्ता नहीं है।

जैसे-डूबते समय कोई व्यक्ति तुम्हें को कमर में लटका ले तो वह डूबने से बच जाता है। इसमें क्रिया डूबने वाले की है, इस कारण लोग तुम्हें को तारने वाला नहीं कहते। वैसे ही परमात्मा के स्मरण से शान्ति लाभ करने में भी हमारी क्रिया ही मुख्य होती है। बिना भक्ति या आराधना के स्वयं वह प्रकाश नहीं आता। भक्ति के माध्यम से शान्ति या प्रकाश प्राप्त होता है। अतः भक्ति निमित्त है। इसलिए शुद्ध दृष्टि से परमात्मा को अकर्ता ही माना गया है। बहुमान की दृष्टि से व्यवहार में लडका तरक्की करता है तो कहता है आपकी कृपा। माताजी की पुण्याई से सफल होगया, आदि। यहाँ कर्तृत्व अपना होते हुए भी बड़ों के आदर हेतु उनका पुण्य और उनकी कृपा का फल बताया जाता है। ऐसे ही अहंकार का परिहास करने के लिये श्रद्धालु व्यक्ति कहते हैं कि भगवान् की दया-कृपा। अपना सबध हटा लेने से इस प्रकार व्यक्ति लाभ में गर्व-हर्ष और हानि में शोक-चिन्ता से मुक्त रहता है। इसलिए व्यवहार में यह समझाया गया है कि जो भी कुछ अच्छाई मिलती है, भगवान् की कृपा का ही फल है। आदमी कुछ नहीं कर सकता,—पर वास्तव में बात यह है कि भगवान् कुछ नहीं करते आत्मा ही उनको निमित्त लेकर सब कुछ करती है। परमात्मा हमारी पवित्र साधना में निमित्त बनते हैं, यही महान् लाभ है। इसलिए व्यवहार में “तित्थयरा में पसीयतु” तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो, जैसे प्रार्थना वचन कहे गये हैं।

प्रश्न ७ जैन धर्म नाम पूजा, व्यक्ति पूजा और वेश पूजा मे कहा तक निष्ठा रखता है, उसकी दृष्टि से गुण-शून्य नाम और वेष भी पूजनीय माना जाता है क्या ? वन्दन पूजन का जैन धर्म मे आधार क्या है ?

उत्तर—अन्य सम्प्रदायों के लोग अग्नी मन्तानों के नाम इष्ट देव के नाम से रखते श्री नारायण या राम नाम से पुत्र को पुकारने पर भी पुण्य को प्राप्ति मानते हैं। उनकी श्रद्धा है कि पापी ने भी मरते समय पुत्र के हेतु मुह से नारायण नाम निकाला तो देवदूत उसको स्वर्ग मे ले गये। जैन धर्म ऐसी एकान्त नाम-पूजा नहीं मानता।

साधारण व्यक्ति वेप मे ही साधु और गृहस्थ आदि का भेद समझ पाते हैं। अतः लोक मे लिग अर्थात् वेप का भी उपयोग है। फिर भी वेष के साथ यदि गुण नहीं है, व्यक्ति केवल वेषधारी है, श्रद्धा-भ्रष्ट या चरित्र का पतित है तो जैन धर्म उसको वन्दनीय नहीं मानता। शास्त्र मे जमालि और गोशालक को वेप की समानता होने पर भी वन्दनीय नहीं माना गया। ऐसे ही गुरु का उत्तराधिकारी होने या गुरु से दीक्षित होने मात्र से भी कोई पूजनीय नहीं होता क्योंकि जैन धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व का मान करता है। जैन धर्म गुण-शून्य नाम या वेप को पूजनीय नहीं मानता।

वह पाट-पूजा, व्यक्ति-पूजा या गादी-पूजा के स्थान पर गुण-पूजा को ही महत्व देता है। उसका स्पष्ट निर्घोष है कि—

“गुणा पूजा-स्थान, गुणिएषु, न च लिग न च वय ।”

गुणियों के गुण ही पूजा के कारण है, वेश या अवस्था

किन्तु जैन शास्त्र बतलाता है कि तीर्थंकरों भी जब तक दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेते साधु आदि व्रती वन्दन नहीं करते क्योंकि उनमें अभी चारित्र्य का गुण नहीं है।

कुछ लोग कहते हैं कि—भगवतजी ने मर्गचि को होने वाला तीर्थंकर जानकर वन्दन किया, ऐसा टीका में आता है। ठीक है, यह बात कथा में है पर शास्त्र में नहीं होने से प्रमाण कोटि में नहीं मानी जाती।

अतगडदशा सूत्र में श्रीकृष्ण को आगामी काल में तीर्थंकर होना बतलाया तो श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, खुशी प्रगट करते हुए उन्होंने ताल ठोके, पर वहा चतुर्विध सष में किसी ने भावी-तीर्थंकर समझ कर वन्दन किया हो ऐसा कोई लेख नहीं आता।

यदि कहा जाय कि तीर्थकर को जन्म काल से ही देव-वन्दन करते हैं तो फिर द्रव्य अवन्दनीय कैसे ? पर वात यह है कि देव स्वयं अविरति है, अतः तीर्थकर के गुण सहज ही उनसे अधिक हैं, कारण तीर्थकर क्षायिक सम्यग् दृष्टि और चरम शरीरी होने से गुण में भी देव से बड़े हैं। अतः द्रव्य की नहीं यहा भी भाव की ही वन्दना है।

देव के बदले कोई साधु साध्वी उनको वन्दन करते तो द्रव्य वन्दनीय कहा जाता पर वैसा नहीं है। इसलिए गुण सम्पन्न द्रव्य-शरीर को ही वन्दनीय मानना चाहिये।

ग्राचार्य हरिभद्र ने वन्दनीय अवन्दनीय का विचार करते हुए कहा है कि—जैसे मुद्रा में धातु और मोहर दो चीजें हैं, दोनों में से एक भी कम हो तो पूरे दाम नहीं मिलते, वैसे ही वन्दनीय में गुण एव वेष इन दोनों में से एक भी कम हो तो व्यवहार में वन्दना प्राप्त नहीं होती। अतः भाव सहित नाम और वेष ही पूज्य माने गये हैं।

जैन धर्म की इस गुण निष्ठा के कारण ही आज समाज में यति-वर्ग की पूजा समाप्त हो गई और वेष की समानता होने पर भी आचार के अभाव में वे साधु से हटके माने जा रहे हैं।

जैन सूत्र में नाम का महत्त्व बतलाते हुए जो तथारूप शब्द का प्रयोग किया है, वह स्पष्ट ही नाम के साथ गुणों की अनिवार्यता प्रगट करता है, देखिये—

“त महाफल खलु भो देवाणुप्पिया ।”

“तहारुवाण अरिहताण भगवन्ताण नाम-भोयस्स वि स-वणयाए ।” उव० समवसरणाधिकार ।

अर्थात्—तथारूप-गुण-युक्त अरिहन्त भगवान के नाम-

गोत्र का स्मरण भी महान् लाभ का कारण है ।

आचार्य सोमचन्द्र ने कहा है—

अवद्य भुक्ते पथिय पवर्तते,
प्रवर्तयत्यन्य जन च निरपृह ।
ससेवितव्य स्वहितैपिणा गुरु,
स्वयतर स्तारयितु धम परम् ।

जो पाप-रहित मार्ग पर चलते और निस्पृह भाव से अन्य को भी सुमार्ग में लगाते, आत्महितैपियो को वैसे ही गुरु की सेवा करनी चाहिये । जो स्वयं तिरते हुए दूसरों को तारने में समर्थ है ।

व्यवहार में वदना के लिये वेप की आवश्यकता मानकर भी निश्चय से गुण को ही प्रधानता दी गई है । अन्यतीर्थ या अतीर्थ के रूप में कभी समय के अनुकूल वेप नहीं होने पर भी यदि चरित्र का गुण है तो उसे भी 'नमो लोए सब्ब साहूण' पद से भाव नमस्कार हो जाता है पर व्यवहार में तो वेप भी आवश्यक है ।

देव पद में भी जैन धर्म को नाम या व्यक्ति का मोह नहीं है । जैन धर्म वीतराग-भाव के गुणों का पूजक है । राम हो या महावीर, बुद्ध हो अथवा कृष्ण जो राग द्वेष-रहित वीतराग और शुद्ध बुद्ध है—वह किसी भी नाम का हो वन्दनीय है । जमालि साधु के वेष में होकर भी वन्दनीय नहीं रहा । आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि—

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेष कपिलादिषु ।

युक्तिमद् वचन यस्य, तस्य कार्यं परिगृह ॥

मेरा महावीर में पक्षपात नहीं है और कपिलादि में द्वेष

धर्म की दीक्षा दी, तो उस समय मूल ऋण के अभद्र गान पान का परित्याग करने से उनकी एक जाति बन गई। जन नर पचायत व्यवस्था सुचारु ढंग में चलती रही, जातीय व्यवस्था, सुरक्षा व सेवा का भी प्रबन्ध चलता रहा, पंचों के मान भी श्री पूज्यो का भी वर्चस्व था इसलिए उनकी व्यवस्था उत्तम ढंग से होती रही। जब पचायतों में पक्षपान और यति ऋण में स्वार्थ एवं लोभ की वृत्ति जोर पकड़ने लगी तो उनका धर्म उनके सामाजिक प्रभाव भी समाप्त हो गया। अब एक मात्र नर पचायत व्यवस्था रही, आज उसी में मूर्ति-पूजक समाज और स्थानरु-वासी समाज के रूप से मिश्रित व्यवस्था चल रही है।

वास्तव में धर्म और जातियाँ अलग अलग हैं। जब में सभ में धर्म की दृष्टि को गौण करके जातीय भावना को मुख्यता देकर काम किया जाने लगा, धर्म का क्षेत्र सीमित हो गया। और सभ-सभा में जातीय कलह पनपने लगे, अच्छा ही यदि सभ को जातीय उलझनों से मुक्त रखा जाय और उनके द्वारा केवल श्रुत चारित्र्य धर्म का प्रचार प्रसार एवं समर्थ बन्धुओं के संरक्षण एवं सगोपन तक की ही व्यवस्था रक्खी जावे।

प्रश्न १० जैन धर्म के अनुसार जीव की जातियाँ कितनी हैं ?

उत्तर—मूल में शास्त्र की दृष्टि से जीव की पाँच जातियाँ कही गई हैं—१ एकेन्द्रिय, २ द्वीन्द्रिय, ३ त्रीन्द्रिय, ४ चतुरिन्द्रिय और ५ पचेन्द्रिय। एकेन्द्रिय कहने से एक इन्द्रिय वाले अनन्त जीवों का बोध होता है, ऐसे द्वीन्द्रिय आदि से भी उन २ समूहों का बोध होता है अतः ये जातियाँ हैं।

भी नहीं है। नाम की तरह जैन धर्म में वेपपूजा को भी स्थान नहीं है।

मन्त्र 'योग गुरोर्हि माह, अगुरो हि-माह' इस शान्ति वचन के अनुसार यदि साधुता का मृत्नाधार गुण समभक्तता समार का महज कल्याण हो सकता है। साम्प्रदायिक मर्षा का मूल भी सदा के निप्रे टन सकता है।

प्रश्न ६ ससार में विभिन्न धर्म और जातियाँ जो अलग अलग दृष्टिगोचर होती हैं कृपया समझाने की कृपा करें, कि ये और जाति एक है या अलग अलग हैं ?

उत्तर—धर्म और जाति भिन्न-भिन्न हैं। जीवन मुद्यार के उच्च-आचार और पवित्र विचार ही वास्तव में धर्म नाम में बड़े जाते हैं। व्यवहार में उपामना मार्ग के विविध क्रिया-कांडों और विषवास को भी धर्म या मप्रदाय कहते हैं। समान रीति-रिवाज और सस्कार वाले मानव-मंडल को जाति कह सकते हैं।

जाति और धर्म में यह अन्तर है कि जाति जन्म से प्राप्त होती है और मरण तक रहती है, जबकि धर्म, मस्कार एवं मत्संग से मिलता है और रंगभेद, मनोभेद या बाह्य प्रभाव से प्रभावित होने पर वह छूट बदल भी जाता है। जाति की तरह धर्म का जीवनकाल में नियमपूर्वक स्थायित्व नहीं होता।

एक जाति में विभिन्न धर्म और एक धर्म में विभिन्न जातियाँ हो सकती हैं। जैनाचार्यों ने जाति की अपेक्षा धर्म को ही अधिक महत्त्व दिया है इसलिए वहाँ सध-निर्माण की ओर जितना लक्ष्य दिया गया है, जाति निर्माण की ओर उतना लक्ष्य नहीं दिया।

ओसवाल बनाते समय भी आचार्यों ने क्षत्रिय आदि विभिन्न कुलो को मद्य-मास और हिंसा का त्याग कराके जैन-

धर्म की दीक्षा दी, तो उस समय मूल वंश के अभक्ष्य खान पान का परित्याग करने से उनकी एक जाति बन गई। जब तक पचायत व्यवस्था सुचारु ढंग से चलती रही, जातीय व्यवस्था, सुरक्षा व सेवा का भी प्रबन्ध चलता रहा, पचो के साथ भी श्री पूज्यो का भी वर्चस्व था, इसलिए उनकी व्यवस्था उत्तम ढंग से होती रही। जब पचायतो में पक्षपात और यति वर्ग में स्वार्थ एव लोभ की वृत्ति जोर पकड़ने लगी तो उनका गनै गनै सामाजिक प्रभाव भी समाप्त हो गया। अब एक मात्र सघ व्यवस्था रही, आज उसी में मूर्ति-पूजक समाज और स्थानक-वासी समाज के रूप से मिश्रित व्यवस्था चल रही है।

वास्तव में धर्म और जातियाँ अलग अलग हैं। जब में सघ में धर्म की दृष्टि को गीण करके जातीय भावना को मुख्यता देकर काम किया जाने लगा, धर्म का क्षेत्र सीमित हो गया। और सघ-सभा में जातीय कलह बनने लगे, अच्छा हो यदि सघ को जातीय उलझनों से मुक्त रखा जाय और उसके द्वारा केवल श्रुत चारित्र्य धर्म का प्रचार प्रसार एव समर्थ बन्धुओं के सरक्षण एव सगोपन तक की ही व्यवस्था रक्खी जावे।

प्रश्न १० जैन धर्म के अनुसार जीव की जातियाँ कितनी हैं ?

उत्तर—मूल में शास्त्र की दृष्टि से जीव की पाँच जातियाँ कही गई हैं—१ एकेन्द्रिय, २ द्वीन्द्रिय, ३ त्रीन्द्रिय, ४ चतुरिन्द्रिय और ५ पचेन्द्रिय। एकेन्द्रिय कहने से एक इन्द्रिय वाले अनन्त जीवों का बोध होता है, ऐसे द्वीन्द्रिय आदि से भी उन २ समूहों का बोध होता है अतः ये जातियाँ हैं।

विशेष प्रकार की दृष्टि से इनमें पशु जाति, पक्षी जाति, जलचर जाति और मनुष्य जाति आदि अनेको उपभेद हैं। मनुष्य में ऊर्म भूमिज भांग भूमिज और ममूच्छ्रंज ऐसे मुम्भ तीन प्रकार हैं। ऊर्म-भूमि में आर्य और अनार्य ये दो मूल जातिया हैं।

प्रश्न ११ मनुष्य समाज में जाति की उत्पत्ति और विस्तार कब से हुआ ? आरम्भ में मूल जातिया कितनी थीं ?

उत्तर—ऊर्म-भूमि के आदि काल में मनुष्य की एक ही युगलिक जाति थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि भेद नहीं थे। ऋषभदेव स्वामी ने जब असि, ममि, कृपि रूप तीन कर्म की शिक्षा दी तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति की स्थापना हुई। फिर भरत द्वारा सम्मानित त्रती गृहस्थ श्रावक—ब्राह्मण कहे जाने लगे। एक में चार और चार में आज चार हजार जातिया हो गई।

आचाराग की निर्युक्ति—

‘एक्कामणुस्स जाई, रज्जुप्पत्तीइ दो कया उसभे । तिण्णोव मिप्पवरिणए, सावगघम्मन्सि चत्तारि । यावन्ना भेयो भगवान्ना-
द्यापि राजलक्ष्मी-मध्यास्ते तावदेकैव मनुष्य-जाति तस्यैव राज्यो-
त्पत्तौ भगवन्त मेवाश्रित्य ये स्थितास्ते क्षत्रिया शेषाञ्च
शोचनान्द्रोदनाच्च शूद्रा पुनरग्न्युत्पत्तौ-अयस्कारादि शिल्प-
वारिण्य-वृत्या-वेशनाद् वैश्या, भगवतां ज्ञानोत्पत्तौ भरत-
काकणी लाछनात् श्रावका एव ब्राह्मणा जजिरे एत्तं
शुद्धा ।’

—आचा० टी० ।

जब तक इनमें एक दूसरे को ऊच-नीच समझने की भावना उत्पन्न नहीं हुई, तब तक वर्ग सघर्ष नहीं हुआ। क्षत्रिय का वैश्य-पुत्री से भी सम्बन्ध हो जाता। कृष्ण ने गजसुकुमाल के लिये सोमल ब्राह्मण की पुत्री को अन्त पुर में रक्खा, श्रैणिक ने वैश्य पुत्री नन्दा से व्याह किया और कयवन्ना के साथ अपनी कन्याओं का भी सम्बन्ध किया। पर सामाजिक व्यवस्था और योग्यता को भूल कर जब ऐच्छिक सम्बन्ध बढ़ने लगे तो विक्रम काल से पर-जातीय सम्बन्ध को निषिद्ध घोषित कर दिया गया।

वास्तव में कोई जाति बुरी नहीं परन्तु उसका वाद बुरा है। हम ऊचे व दूसरी जाति वाले नीचे यह समझना ही सघर्ष का कारण है। ऊच नीच की भावना से अहंकार और तिरस्कार भाव उत्पन्न होते हैं, फल-स्वरूप जाति-जाति में सघर्ष बढ़ने लगे। भगवान महावीर ने कहा—कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय और कर्म से ही वैश्या तथा शूद्र होता है। जो उच्च जाति में जन्म कर अहम् भाव करता और हीन कर्म करता है, वह नीच गोत्र का वध करता है। वास्तव में अभक्ष्य भक्षण, अगम्य गमन, अपेय पान और हिंसा व्यभिचार आदि नीच कर्म से ही मनुष्य नीच कहलाता है।

प्रश्न १२. आजकल धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न सम्प्रदाय हैं, जो विश्व में सघर्ष की कारण बनी हुई हैं। विद्वानों के भाषणों में एक ओर सम्प्रदाय त्याग की बात की जाती है और दूसरी ओर कहा जाता है कि सप्रदाय बुरा नहीं है, सप्रदाय-वाद बुरा है तो सही स्थिति क्या है ? बताने की कृपा करें।

उत्तर—पहले समझना चाहिये कि सप्रदाय क्या है ? एक प्रकार के सैद्धान्तिक विचार या उपासना मार्ग पर चलने

वाले सगठन को सप्रदाय या आमनाय कहते हैं। साधको की साधना शिथिल न हो और उनका एक व्यवस्थित सगठन रहे, इस विचार से सप्रदाय की स्थापना की गई। व्यवस्था और प्रचार की सुलभता की दृष्टि से सप्रदाये आवश्यक हैं। विभक्त व्यवस्था में जन समूह को अनायास अनैतिकता से बचाया जा सकता है और सप्रदायों में परम्पर धर्म-प्रचार की स्पर्धा भी रहती है परन्तु जब सम्प्रदाय में अहंकार और दुराग्रह का वाद प्रवेश कर जाता है, अपने अच्छे को अच्छा कहने के बदले जब वह दूसरे के अच्छे को भी बुरा कहने लगता है तो संघर्ष का कारण होकर सप्रदाये खटकने लायक हो जाती हैं। सप्रदाय-वाद में मानव स्वमत को ही उत्तम मानकर परमत को हीन कहता है और सत्य का आदर करने की अपेक्षा अपना मो ठीक मानने का आग्रही हो जाता है। यह सप्रदायवाद ही बुरा है। वाद को छोड़कर यदि एक दूसरे में अच्छाई ग्रहण की भावना रखी जाय तो सप्रदाये हितकर बन सकती हैं। मूल में सप्रदाय बुरी नहीं है।

सप्रदाय त्याग की बात करने वालों को भी सप्रदायों का परित्याग कर नया सगठन बनाना होता है। इससे सप्रदाय का प्रेम और अनुशासन भंग कर नया रूप देने की अपेक्षा सप्रदाय को ही बुराडया निकालकर शुद्ध क्यों नहीं किया जाय। नाक की पीड़ा से बचने के लिए फोड़े की सफाई करने के बदले नाक को ही काट फेंक देना कोई बुद्धिमानी नहीं कहलाती। सप्रदायों में पारस्परिक सहिष्णुता और सहयोग की स्थिति निर्मित की जाय तो सप्रदाये देश और समाज के लिए बरदान रूप हो सकती हैं। हर सप्रदाय पड़ोसी सप्रदाय से तुलनाकर अपनी दुर्बलता दूर करे और विशिष्टता को फैलावे तो संसार में संघर्ष का कारण ही नहीं रह पाएगा।

जैसे एक न्यायाधीश दोनों पक्ष के वकील, रैग्गट्टर गवाह सबूत एवं उक्तियों को सुनकर भी अपनी बुद्धि में ही निर्णय करता है, वैसे ही आप भी सबके विचारों को सुन कर अपनी प्रेक्षा बुद्धि से विचार कर स्वयं निर्णय कीजिये कि वस्तुतः आत्मिक गुणों को प्रकट करने की एवं गग, द्वेष और मोहादि घटाने की भावना किस साधना से जागृत होती है ? जो इस कसौटी पर सर्वथा सही उतरे, उसे ही सर्वश्रेष्ठ धर्म मानना चाहिये ।

भगवान् महावीर ने कहा—जिसको सुनकर अहिंसा, क्षमा और तपस्यादि की भावना जागृत हो वही सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी है । हर धर्म में थोड़ा बहुत आत्मपोषण का तत्त्व मिल सकता है । जैसे गेहूँ, बाजारा, जौ, ज्वार, चावल आदि धान्यों में पौष्टिक तत्त्व मिलता है परन्तु इन सब में भी सर्वाधिक पौष्टिक तत्त्व प्राप्त हो उसे ही आप पसन्द

करेंगे। इसी तरह जो मन विश्व मैत्री, अहिंसा, सयम, तप आदि उत्कृष्ट भावों को जागृत करने वाला हो, जिसके सिद्धांत में किसी का पीडन और तिरस्कार न हो, जो मनुष्य जाति में भेद की दीवार न खींचता हो, जो विश्व के जीवों में आत्मवत् भाव रखता हो, जो धर्म, अर्थ या काम हेतु कहीं किसी भी तरह हिंसा की जाय उसको हिंसा मानकर, उसका बहिष्कार करता हो, वस्तुतः वही कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ धर्म है।

उपरोक्त लक्षणों में परीक्षा करने के पश्चात् धर्म सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगा। हर धान्य में न्यूनाधिक भूख मिटाने की शक्ति होती है, वैसे सभी धर्मों का कुछ न कुछ अणु पुण्य बढ़ाकर आत्मा को स्वर्ग आदि मुक्ति का अधिकारी बना सकता है किन्तु संपूर्ण दुःखों में मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य वीतराग मार्ग—जैन धर्म में ही मिल सकता है अतः वही मुक्ति कामी जनो के लिये उपादेय—आदरपूर्वक ग्रहण करने योग्य है। उत्तम खाद्य पदार्थों के मिलने पर कोई तुच्छ खाद्य को खाना पसन्द नहीं करता, उत्तम, देशी गेहूँ मिलने की स्थिति में कोई मक्का या विदेशी खाद्य कण नहीं खाता, वैसे ही धर्म के लिये समझना चाहिये।

भगवान् महावीर ने कहा है कि जो धर्म जीव मात्र को आत्मवत् समझने की शिक्षा देता, बिना किसी भेदभाव के प्राणी मात्र का कल्याण चाहता, और गुण पूजा को महत्त्व देता है तथा भोग के साथ कपाय भाव का त्याग कर, आत्मा को निर्मल बनाने की शिक्षा देता है वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। किसी भी जीव को नहीं मारना, बलात्कार नहीं करना, पीडा नहीं पहुँचाना, अनिच्छा से किसी की कोई भी वस्तु नहीं लेना, यह जैन-धर्म का सिद्धान्त है अतः यही धर्म है। वैदिक ऋषियों ने

भी कहा है—'श्रूयता धर्मं नवम्, भूतानंवाव भायनाम् ।
 आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न गमानरेत् ।' धर्म का सर्व्व
 यही है कि अपने लिये प्रतिदूत लगने वाले व्यवहार दूगरे के
 साथ नहीं करना, पर वहा धर्म के नाम पर यज्ञ-याग की हिंसा
 होती है । जिस सम्प्रदाय में आप अहिंसा का जीवन क्षेत्र में
 अधिक अवतरण देते, उसी को विशेष महत्त्वपूर्ण माने । द्वेष
 या तिरस्कार किसी के साथ नहीं करें, क्योंकि दुष्ठा पाप से
 की जाती है, पापी से नहीं । पाप कभी भी पुण्य में परिवर्तित
 नहीं हो सकता किन्तु आज का पापी कल तपश्चर्या से पुण्यात्मा
 बन सकता है । और धर्मों भी बन सकता है । जैन धर्म मूलत
 राग-रोपादि विकारों को नष्ट करने का प्रचार करता और
 तदनुकूल आचरण से सिद्धि मानता—यहा धर्म-प्रचार के नाम
 से भी हिंसा का समर्थन नहीं है ।

प्रश्न १४ जो वस्तु जिस समय जहा, जिस रूप में
 परिणित होने योग्य है, वस्तु को वे सब पर्यायों क्रमवद्ध और
 नियत हैं । पुरुषार्थ उसमें कुछ भी न्यूनाधिक नहीं करता, इस
 प्रकार की विचारधारा आज अधिक फैल रही है, यह कहां तक
 सही है ? कुछ समझाने की कृपा करें ?

उत्तर—जिन शासन में मुख्य रूप से द्रव्य-नय और
 पर्याय-नय दो नय है । द्रव्य से हर पदार्थ नियमित एवं स्थिर
 है और पर्याय-नय से पदार्थ प्रति समय परिवर्तनशील होने से
 अनियमित है । अतः जिन शासन को एकान्त नियतवादी या
 एकान्त अनियतवादी न मानकर नियतानियतवादी कहा गया
 है । द्रव्य, क्षेत्र और काल के संयोगानुसार क्रियापूर्वक प्रत्येक
 पर्यायों परिवर्तित होती है, त्रिकालज्ञानी, सर्वज्ञ, विभिन्न क्षेत्र
 और विभिन्न काल में बदलने वाली पर्यायों को पहले से जानते

ह कि कहाँ किम क्रिया से कैसी पर्याय होगी। पर्यायो का नियामक क्रिया मूलक मयोग है न कि सर्वज्ञो का ज्ञान। उमलिये केवलज्ञान द्वारा ज्ञात होने पर भी पर्याये अनियत कही गई ह। कोयले को पर्याय से होरा भी हां सकता है और भस्म भी। जिम समय जैसा सयोग मिला उमकी वैसी ही पर्याये बदल गई। त्रिकालज होने मे सर्वज्ञ उम बात को जानते है कि किमके पीछे कैमी क्रिया होने वाली है। अतएव यह ममभना कि जट चेतन की विविध पर्याये नियत होने से विना पुरुषार्थ सहज होती है, भूल है। जीव कभी अजीव नही होता और अजीव—जीव नही बनता यह नियत है। ऐसे नर-नारकादि पर्याय नियत नही है। मनुष्य मर के मनुष्य भी हां सकता है और नारक या देव भी, पर इमका कोई नियत क्रम नही। जीव के आरोह-अवरोह का भी कोई नियत क्रम नही है। इमीलिये भगवान् महावीर की धर्म-प्रवृत्ति, उत्थान, क्रम, वलवीर्य और पुरुषाकार वाली मानी गई ह। उपासक दशाग कहा है—“समणस्स भगवओ महावीरम्म धम्म पण्णत्ती-अत्थि उट्टारोडवा जाव अणियया सव्वभावा ॥५॥” अर्थात् महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति मे उत्थान यावत् पुरुषकार है। क्योकि सब भाव अनियत है। इससे यही प्रमाणित होता है कि क्रमबद्ध नियत पर्याय मानना शास्त्रानुसार उचित नही है।

प्रश्न १५ कुछ लोग कहा करते है कि साधु को पडि-लेहण करना, कपडे अधिक उजले नहीं रखना, नित्य प्रति एक घर से भिक्षा नहीं लेना आदि बाह्य क्रिया काण्डो मे उलझने की अपेक्षा कषायो को जीतना चाहिये। बाह्य क्रिया काण्ड तो अज्ञानी भी करता है। पर उनसे क्या लाभ? ससार का अन्त तो मन को शुद्ध करने से ही होगा। बाह्य क्रिया काण्ड तो

मात्र दिखावा ढकोसला है । क्या इस प्रकार के विचार ठीक हैं ?

उत्तर—वाह्य क्रिया गण्डो की अपेक्षा कपायो को जीतना अधिक महत्त्वपूर्ण है । उगमे कोई विरोध नहीं । किन्तु इससे वाह्य क्रियाओं की निरुपयोगिता सिद्ध करना ठीक नहीं । कपाय विजय की इच्छा वाले मायक को तामसी भोजन, दुष्ट सग और दिमाग को गलत विचारों से बचाये रखने का अभ्यास करना आवश्यक होगा । सात्विक आहार, जानवान सज्जनों की सगति और शुभ कार्यों में जुडा रहना, कपाय विजय के अपेक्षित साधन हैं । अतः साधन रूप से वाह्य क्रिया भी आवश्यक है ।

अर्जुन माली जैसा तीव्र कपायी भगवान् की देशना का निमित्त पाकर तप, त्याग की भावना में कपायो को जीतकर वीतराग भाव की साधना करने लगा फिर भी मत्सग और बेले-बेले की तपस्या का व्यवहार उसे भी करना पडा ।

जैन शास्त्र एकान्त व्यवहार या एकान्त निश्चय का कथन नहीं करता, वह अपेक्षावादी-अनेकान्तवादी है । जिन शासनो में व्यवहार और निश्चय दोनों से कार्य की सिद्धि मानी गई है । निश्चय के साध्य तक पहुँचने में व्यवहार साधन है, ज्ञान मिलाने को शिक्षक के पास जाना पडता है । समुद्र पार करने में नाव का आश्रय लेना होता है और रोग मिटाने के लिये दवा भी खानी पडती है । दवा खाने के पूर्व रोग का परीक्षण भी कराया जाता है, ये सब व्यवहार हैं । पर कार्य सिद्धि में आवश्यक साधना मानकर किया जाता है । वैसे ही कपाय विजय के लिये, वाह्य क्रियाओं की भी आवश्यकता है । चलने में जैसे दोनों पैर हिलाये जाते हैं और दही मन्थन में

दोनों हाथ आगे पीछे गय कर डोगी खीची जाती है। मन्थन के समय एक हाथ ढीला और दूसरा कडा रखने पर ही मक्खन प्राप्त होता है। दोनों हाथ छोड़ने से या खीचने से काम नहीं होता, वैसे ही कल्याणकाली जन को भी व्यवहार और निष्चय दोनों की आवश्यकता होती है। व्यवहार के पीछे निष्चय को भूल जाना या उमकी उपेक्षा करना भयकर भूल है। वैसे निष्चय के आग्रह में व्यवहार का तिरस्कार करना भी, सत्य का अपलाप करना और अपने आपको धोखा देना है। कारण सामान्य मात्रक व्यवहार के द्वारा ही निष्चय की ओर बढ़ता है। केवली का व्यवहार निष्चयानुसार होता है जबकि छद्मस्य अपूर्ण ज्ञानी होने में विना व्यवहार के निष्चय को नहीं समझ पाता और न आचरण में ही ला सकता है। साधना की स्थिति में व्यवहार को त्याज्य नहीं किन्तु उपादेय मानना चाहिये, यही शास्त्र का मर्म है।

प्रश्न १६ जैन धर्म में श्वेताम्बर और दिगम्बर रूप के भेद कबसे हैं, और दोनों में परस्पर किन मान्यताओं में क्या-क्या अन्तर हैं ?

उत्तर—जैन-धर्म वास्तव में न श्वेताम्बर है न दिगम्बर। वह तो सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य पूर्वक अन्तर के विकारों को जीतने में है। साधकों की शारीरिक, मानसिक स्थिति और योग्यता के अनुसार कोई श्वेतवस्त्रधारी हो या कोई सर्वथा वस्त्र त्यागी हो, मुक्ति मार्ग में कोई आपत्ति नहीं आती। लोक में व्यवहार के लिये ही बाह्य लिंग बताया गया है, उसके अनुसार वैप में मुख वस्त्रिका और रजोहरण तो सब के लिये आवश्यक कहा गया है।

महावीर के गमय में वन्यधात्री और वन्यत्यागी दोनों प्रकार के साधु होते थे। उनमें वन्यधात्री-संश्लिष्टाणी और दूसरे जिनकल्पी कहलाते। महावीर के द्वितीय पट्टधर श्री जम्बूस्वामी तक यह स्थिति चलती रही। बाद में जिनकल्प नहीं रहा।

वि० स० ६०६ में रथवीरपुर नगर में यह मतभेद स्थूल रूप से प्रकट हुआ। भाष्यकार जिनभद्र क्षमाश्रमण के मतानुसार आचार्य कृष्णचन्द्र के शिष्य शिवभूति में दिगम्बर मत की उत्पत्ति हुई। रथवीरपुर के पुण्येहित पुत्र शिवभूति—जिसको सहस्रमल भी कहते हैं, घर से विरक्त हो आचार्य कृष्ण के पास दीक्षित हो गये। कुछ काल के बाद जब आचार्य रथवीरपुर में पधारे तो राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य रत्न कवच भेंट किया। आचार्य को ज्ञात होने पर उन्होंने कहा—ऐसा बहुमूल्य वस्त्र अपने को नहीं रखना चाहिये, परन्तु मुनि को यह मान्य नहीं हुआ। उसने कपडों में लपेटकर उसको बड़ी हिफाजत से रक्खा। शिवभूति की कम्बलरत्न पर मूर्च्छा आसक्ति देखकर आचार्य ने एक दिन जब मुनि बाहर गया हुआ था—कम्बल रत्न के खड-खड करके साधुओं में बांट दिये, शिवभूति मुनि को यह जानकर बड़ा रोष हुआ।

एक दिन गुरुदेव जिनकल्प का वर्णन कर रहे थे, करपात्री और पात्रधारी, सवस्त्र और अवस्त्र ऐसे उन्होंने जिनकल्प के दो विकल्प किये। तब शिवभूति ने कहा—बस यही सच्चा मार्ग है, इतने उपकरण की ठेरी किसलिये? यह तो परिग्रह है।

शिवभूति ने वस्त्र त्याग कर दिगम्बर रूप अंगीकार

क्रिया । और तब मे वम्बधारी मुनियों को मानने वाली समाज ज्वेताम्बर तथा नग्नमुनिओ को मानने वाली दिगम्बर कही जाने लगी ।

ज्वेताम्बर और दिगम्बर के मूल मिद्धान्तो मे भेद नही है—

- १ ज्वेताम्बर भी २४ तीर्थकर मानते हैं और दिगम्बर भी ।
- २ नमस्कार मत्र मे पञ्च परमेष्ठि का वदन ज्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो मानते ह ।
- ३ सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्र रूप मोक्ष मार्ग ज्वेताम्बर भी मानते हे और दिगम्बर भी ।
- ४ साधु के लिये सपूर्ण आरभ हिमा और परिग्रह का त्याग दोनो मानते हैं ।

देव, गुरु के स्वरूप और आचार मे बहुत कुछ समानता होने पर भी चद वातो के भेद से सप्रदाय भेद चल रहा है । जैसे—

- १ ज्वेताम्बर साधु भिक्षा से आहार लेते, तब दिगम्बर मुनि अभिग्रह के अनुसार एक ही जगह खडे-खडे भोजन करते है । आहार मे शोध की वस्तु और जैन कुल ही ग्राह्य माना जाना है, ज्वेताम्बर मर्यादागील अन्य कुलो मे भी भिक्षा लेते हैं ।
- २ ज्वेताम्बर केवली को कवलाहार भी मानते है, पर दिगम्बर केवलियो के लिये कवलाहार नही मानते हैं, रोमाहार मानते है ।

किया । और तब से ब्रम्हधारी मुनियों को मानने वाली समाज ज्वेताम्बर तथा नग्नमुनिओं को मानने वाली दिगम्बर कही जाने लगी ।

ज्वेताम्बर और दिगम्बर के मूल सिद्धान्तों में भेद नहीं है—

- १ ज्वेताम्बर भी २४ तीर्थकर मानते हैं और दिगम्बर भी ।
- २ नमस्कार मंत्र में पञ्च परमेष्ठि का वचन ज्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों मानते हैं ।
- ३ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्र रूप मोक्ष मार्ग ज्वेताम्बर भी मानते हैं और दिगम्बर भी ।
- ४ साधु के लिये मपूर्ण आरभ हिंसा और पग्निह का त्याग दोनों मानते हैं ।

देव, गुरु के स्वरूप और आचार में बहुत कुछ समानता होने पर भी चंद बातों के भेद से संप्रदाय भेद चल रहा है । जैसे—

- १ ज्वेताम्बर साधु भिक्षा से आहार लेते, तब दिगम्बर मुनि अभिग्रह के अनुसार एक ही जगह खड़े-खड़े भोजन करते हैं । आहार में शोध की वस्तु और जैन कुल ही ग्राह्य माना जाना है, ज्वेताम्बर मर्यादाशील अन्य कुलों में भी भिक्षा लेते हैं ।
- २ ज्वेताम्बर केवली को कवलाहार भी मानते हैं, पर दिगम्बर केवलियों के लिये कवलाहार नहीं मानते हैं, रोमाहार मानते हैं ।

फिर सूत्र रचना का उल्लेख करते हुए भाष्यकार जिन-भद्रगणी ने विशेषावश्यक में कहा है कि-अथभासइ अरहा, सुत्त गथति गणहरा निजण । सासणस्स हियट्ठाए, ततो सुत्त पवत्तइ ।

अथत्ति अरिहन्त भगवान् अर्थ कथन करते और गणधर निपुणता से सूत्र का ग्रथन करते हैं, फिर शासन हित के लिये सूत्र का प्रवर्तन होता है । इस प्रकार तीर्थकर भगवान् का बोलकर उपदेश देना प्रमाण सिद्ध है ।

प्रश्न १८. आज का युग वैज्ञानिक युग है । आज आधुनिक साधनों का उपयोग करके जैसे उद्योग, व्यवसाय और प्रचार में सफलता मिली जाती है ऐसे धर्मकरणी में भी इसका उपयोग लिया जाय तो थोड़े समय में अधिक धर्म प्रचार का काम हो सकता है ।

द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी और सरीसृप सब जीवों की अपनी भाषा रूप में हित-सुख रूप से परिणत होती है।”

उपरोक्त सूत्र में समवसरण का वर्णन करते प्रभु की देशना के परिचय में कहा है—“देव और मानवों की विशाल परिपद् में ओषधवल और अतिवल वाले प्रभु ने सारद मेघ के समान गभीर ध्वनि से धर्म फरमाया। उनकी वाणी उर में विस्तार-युक्त और कठ में वृत्त और शिरोभाग में व्याप्त थी। प्रभु ने मन्मनरहित स्पष्टोच्चारण वाली और सर्वाक्षर सन्निपातिनी भाषा में उपदेश दिया।”

फिर प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम सवर द्वार में कहा है —

“सम्पूर्णां जगत् के जीवों की रक्षा व दया हेतु भगवान् ने मर्म्यक् रूप से प्रवचन कहा है।”

यदि भगवान् की वाणी केवल ध्वनि रूप ही प्रमाणित होती तो भगवती सूत्र में गौतम, सोमिल, रोहा और खदक आदि के जो प्रश्नोत्तर चले हैं, वे कैसे सिद्ध होंगे। वहाँ किसी देव का माध्यम बन कर कहने का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी बात भगवान् को केवलज्ञान ही जाने पर भी मन-वचन-काय के योग रहते हैं, जैसे काय योग से ग्रामानुग्राम विहार करते, चलते-फिरते वैसे वचन योग से सत्य और व्यवहार भाषा बोलते हैं।

भगवती सूत्र के १८वें शतक और ७वें उद्देश में कहा है कि केवली भगवान् निरवद्य और अपरोपघाती दो भाषा बोलते हैं जैसे सत्य अथवा असत्याम्रष-व्यवहार।

मकता है, और यह भी ठीक है कि विशेष प्रसंगो पर सामूहिक धर्माराधन मे यह समस्या उपस्थित हो सकती है कि सब को एक सा लाभ कैसे दिया जाय, फिर गर्मी का परिपह भी हो सकता है किन्तु सच्चे श्रद्धालु सहूलियत या रुचि को महत्त्व नहीं देते, उनका प्रमुख दृष्टिकोण होता है—व्रतो की निर्दोषिता कैसे रहे। यो तो श्रावक गृहस्थ है, उद्योग-धन्धो मे उसके द्वारा हिंसा भी होती है, धर्मस्थान आदि सामाजिक आवश्यकताओ के लिये वह आरभ भी करता है, उसी तरह विना व्रत के कभी देश विदेश मे वैज्ञानिक साधन का उपयोग कर धर्म प्रचार करना पड़े तो श्रावक के लिये त्याग नहीं है, ऐसा करने से उसके श्रावकाचार मे कोई बाधा नहीं आती। किन्तु सामायिक या पौषध मे जबकि दो करण तीन योग से वह पाप का त्याग करके बैठा है तब ऐसे आरभवर्द्धक साधनो का उपयोग नहीं कर सकता। जहा दीपक या विजली के प्रकाश मे धर्म की पुस्तक पढना भी निषिद्ध समझा जाता है वहा पौषधादि व्रत मे कोई ध्वनियत्र मे प्रतिक्रमणादि कैसे बोल सकता है? क्योकि विजली तो दीपक से भी अधिक आरभी है। प्रतिक्रमण मे आत्म चिंतन करना है, उस के लिये व्यक्तिगत चिंतन जितना लाभकारी होता है उतना सामूहिक श्रवण लाभदायी नहीं होता। जिनको प्रतिक्रमण का अभ्यास नहीं है उनको भले ही चिंतन के लिये श्रवण करना पड़े किन्तु जिनको पाठ आते है अथवा जो स्वयं चिंतनशील हे उनके लिये एकान्त मे बैठकर स्वयं शांति से चिंतन करना ही विशेष लाभप्रद समझना चाहिये। प्राचीन समय मे व्यक्तिगत प्रतिक्रमण का व्यवहार चलता था। अधिक सख्या के कारण आज सुनाना आवश्यक हो तो अलग-अलग विभाग करके इस ढंग से सुनाया जाय कि एक दूसरे की आवाज परस्पर टकराने नहीं पावे। धर्म स्वाश्रित

है और आचार बल उसका प्राण है। सुना जाय या नहीं, यदि भावना का बल है तो धर्माराधन हो सकता है। जैन शारान में परिषह सहना भी धर्म माना गया है। अतः साधारण गर्मी के परिषह में साधक कैसे घबरा सकता है? जो आराम प्रिय होगा वह तो साधना में ही क्यों लगेगा? प्राचीन समय के श्रावक अपने आराम हेतु धारण किए छत्र, चवर, पुष्पमाला आदि भी समवसरण में जाते समय अलग कर देते थे क्योंकि त्यागियों के पास सचित वस्तु लेकर जाना और भोग्य सामग्री का उपभोग करना अशातना मानी गई है फिर समवसरण में पखा लगाना उचित कैसे हो सकता है। पूर्ण त्यागी सत, सति वृन्द को चाहिये कि गृहस्थ की आड लेकर मर्यादा को ढील नहीं दे।

प्रश्न १९. लोग शिष्टाचार में जय जिनेन्द्र, जय वीर या जय जिन कहते हैं। जय जन क्यों नहीं कहा जाता। शास्त्र में हर जन में जिन (अर्हन्त) की योग्यता मानी है “अप्पा सो परमप्पा” उस वचन के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है फिर प्रत्यक्ष वाले जन को छोड़कर परोक्ष के जिन की जय बोलने में क्या लाभ? राष्ट्र में जय जवान बोला जाता है, ऐसे ही धर्म में जय-जन बोला जाय तो क्या बाधा है? इस तरह सब मानवों में समानता एव प्रीति उत्पन्न होगी। कहा भी है कि जन-सेवा ही जिन सेवा है, इसमें आपका क्या विचार है?

उत्तर—जन और जिन को एक समझकर जो प्रश्न किया गया कि जिन की जगह जन की जय बोलने में क्या आपत्ति है? इसके पहले यह समझना चाहिए कि शास्त्र में जिस दृष्टि से जो वस्तु कही गई है, उसका उसी दृष्टि से

उपयोग किया जाय, अन्यथा वस्तु तत्त्व को समझने में भूल होगी। “अप्पा सो परमप्पा” का वचन भी उसी तरह का है। निश्चय की अपेक्षा अथवा नैगमनय दृष्टि से जीव मात्र में आत्म-गुण की सत्ता को ध्यान में लेकर जन और जिन एक कहे गये हैं पर आध्यात्मिक विकास और हास की अपेक्षा दोनों में महान् अन्तर है। जन रागी होता है तो जिन वीतरागी, जन अल्पज्ञ और जिन सर्वज्ञ है, जन अपूर्ण है तो जिन पूर्ण है। जैसा कि कहा है—

“सिद्धों जैसो जीव है, जीव सोही सिद्ध कोय,
कर्म मेल का अन्तरा, वृझे निरला कोय।”

अर्थात्-जीव सिद्ध के जैसा है और जीव ही सिद्ध होता है। दोनों में कर्म मेल का अन्तर है। जिसको कोई विरले ही समझ पाते हैं। जीव सावरण और सिद्ध निरावरण है। सिद्ध में ज्ञानादि भाव प्रकट है जब कि जीव में तिरोहित है। “एगे आया” इस सूत्र के अनुसार, द्रव्य दृष्टि से सब आत्मा एक होकर भी जन, जैन और जिन रूप पर्याये भिन्न-भिन्न है। जन भवानन्दी, जैन ज्ञानानन्दी और जिन आत्मानन्दी होते हैं।

समान भाव से की गई जन सेवा और जिन सेवा में जन सेवा पुण्य सचय का कारण हो सकती है, जब कि जिन सेवा कर्म निर्जरा के द्वारा आत्मा को हल्का कर अरिहन्त पद का अधिकारी तक बना देती है। यही कारण है कि ‘जिन’ प्राणी मात्र के पूज्य माने जाते हैं और साधारण जन मात्र पूजक हो सकते हैं। जन और जिन में उतना ही अन्तर है जितना भक्त और भगवान् और गुरु और शिष्य में होता है।

इसलिये ससार जिनेन्द्र की भक्ति करता और उनही जय बोलता है ।

जय जवान और जय किमान का नारा राष्ट्र-हित में जवानों को प्रोत्साहित करने के लिये कहा जाता है । उसमें उनको प्रसन्न रखने की भावना है, क्योंकि वहा स्वार्थ है । जय गान से जवानों और किमानों में उत्साह बढ़ेगा जिसमें वे राष्ट्रहित में अधिक-से-अधिक आत्मोत्सर्ग करने को तैयार रहेंगे । पर जय-जिन और जय गाँधी कहने में गुणों की प्रीति एवं आदर की भावना है स्वार्थ नहीं । साधारण जन और जीव मैत्री भावना के पात्र हैं प्रमोद के नहीं । जय गुणियों की ही बोलती जाती है क्योंकि वे प्रमोद पात्र हैं । इसलिए प्रत्यक्ष दृष्ट जन को छोड़कर 'जिन' की जय बोलना धर्म या पुण्य लाभ की दृष्टि से उचित माना गया है ।

प्रश्न २० इवेताम्बर परम्परा में ४५ अगम माने जाते हैं, जिनमें ११ अग और ३४ अगवाह्य मूल, छेद और उपाग आदि हैं । इग्यारह अग शास्त्रों के अतिरिक्त ३४ अगवाह्यो में कुछ को प्रामाणिक और प्रकीर्ण आदि अन्य सूत्रों को अप्रामाणिक मानने का माप दंड क्या है ? लौकाशाह या पूर्ववर्ती आचार्यों ने उनको किस आधार से अप्रामाणिक माना, स्पष्ट करें ?

उत्तर—जैन साहित्य में अग और अग वाह्य दो प्रकार के सूत्र माने गये हैं । तीर्थंकरों से सुनकर गणधर जिनकी रचना करते हैं, वे अग सूत्र और स्थविर आचार्यों द्वारा रचे गये उपाग-प्रकीर्णक आदि सूत्र अग वाह्य कहलाते हैं । वर्तमान में ११ अग सूत्रों के अतिरिक्त सब शास्त्र अग वाह्य कहे गये

है। अग वाह्य सूत्रों की प्रामाणिकता का आधार अगानुसारिता है। स्थविर रचित सूत्रों का अग शास्त्र के अनुकूल और अग शास्त्र के भावों का समर्थक-पोषक होना ही उनकी प्रामाणिकता का माप दंड है। साधुमार्गी (स्थानकवासी) परंपरा में अग तथा उन अग वाह्य शास्त्रों को ही प्रामाणिक माना गया है जो वीतराग-वचनो याने अगशास्त्रों से अबाधित हो। लौकाशाह ने यह निर्धारण किया है कि इतने शास्त्र मानना अन्य नहीं, ऐसा उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। संभव है अग शास्त्रों को मूलाधार मानकर लवजी ऋषि या इनके पूर्ववर्ती जीवराजजी म० ने ११ अग, १२ उपाग, ४ मूल, ४ छेद और आवश्यक इस प्रकार ३२ मान्य शास्त्रों की गणना निश्चित की हो। कारण प्राचीन नामवाले कई शास्त्रों में पूर्वापर विरुद्ध एव अग शास्त्रों के प्रतिकूल अंश भी मिलता है।

प्रश्न २१ शास्त्र पढ़ने में अस्वाध्याय के क्या क्या कारण हैं और किस कारण की स्थिति में कितने काल तक स्वाध्याय नहीं करनी चाहिये।

उत्तर—सम्यक् रीति से मर्यादा पूर्णक सिद्धान्त में कहे अनुसार शास्त्रों का पढ़ना स्वाध्याय है। जिस काल अथवा जिन परिस्थितियों में शास्त्र पढ़ना मना है, वे अस्वाध्याय हैं। शास्त्र में अस्वाध्याय के बत्तीस या चौतीस कारण कहे हैं। स्थानाग सूत्र में बत्तीस अस्वाध्यायों का वर्णन है। वह इस प्रकार है—दश आकाश सम्बन्धी, दश औदारिक-सम्बन्धी, चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदाओं के पूर्व की पूर्णिमाएँ, और चार सन्ध्याएँ। अन्य ग्रन्थों में कुछ मतभेद

भी है। परन्तु यहा स्थानाङ्ग सूत्र के अनुसार ही लिखा जा रहा है।

(१) उल्कापात—आकाश से रेखा वाले तेज पुञ्ज का गिरना, अथवा पीछे से रेखा एव प्रकाश वाले तारे का टूटना, उल्कापात कहलाता है। उल्कापात होने पर एक प्रहर तक सूत्र की अस्वाध्याय रहती है।

(२) दिग्दाह—किसी एक दिशा-विशेष में मानो बड़ा नगर जल रहा हो, इस प्रकार ऊपर की ओर प्रकाश दिखाई देना और नीचे अन्धकार मालूम होना, दिग्दाह है। दिग्दाह के होने पर एक प्रहर तक अस्वाध्याय रहती है।

(३) गर्जित—बादल के गर्जन पर दो प्रहर तक शास्त्र की स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए।

(४) विद्युत्—विजली चमकने पर एक प्रहर तक शास्त्र की स्वाध्याय करने का निषेध है।

आर्द्रा से स्वाति-नक्षत्र तक अर्थात् वर्षा ऋतु में गर्जित और विद्युत् की अस्वाध्याय नहीं होती। क्योंकि वर्षा काल में ये प्रकृतिसिद्ध स्वाभाविक होते हैं।

(५) निर्घात—बिना बादल वाले आकाश में व्यन्त-रादि कृत गर्जना की प्रचण्ड ध्वनि को निर्घात कहते हैं। निर्घात होने पर एक अहोरात्रि तक अस्वाध्याय रखना चाहिए।

(६) यूपक—शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का मिल

जाना, यूपक है। इन दिनों में चन्द्र-प्रभा से आवृत होने के कारण सन्ध्या का वीतना मालूम नहीं होता। अतः तीनों दिनों में रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करना मना है।

(७) यक्षादीप्त—कभी किसी दिशा-विशेष में विजली सरीखा, बीच-बीच में ठहर-ठहर कर, जो प्रकाश दिखाई देता है उसे यक्षादीप्त कहते हैं। यक्षादीप्त होने पर एक प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

(८) धूमिका—कार्तिक से लेकर माघ मास तक का समय मेघों का गर्भमास कहा जाता है। इस काल में जो धूम्र वर्णों की सूक्ष्म जल रूप धूँवर पड़ती है, वह धूमिका कहलाती है। यह धूमिका कभी-कभी अन्य मासों में भी पडा करती है। धूमिका गिरने के साथ ही सभी को जल-विलग्न कर देती है। अतः यह जब तक गिरती रहे, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

(९) महिका—शीत काल में जो श्वेत वर्णों की सूक्ष्म जलरूप धूँवर पड़ती हैं, वह महिका है। यह भी जब तक गिरती रहे, तब तक अस्वाध्याय रहता है।

(१०) रजउद्घात—वायु के कारण आकाश में जो चारों ओर धूल छा जाती है, उसे रजउद्घात कहते हैं। रज-उद्घात जब तक रहे, तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए।

ये दश आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय हैं।

(११-१३) पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च के अस्थि, मास और रक्त यदि साठ हाथ के अन्दर हो तो सभ्र काल से तीन प्रहर

तक स्वाध्याय करना मना है। यदि साठ हाथ के अन्दर विल्ली वगैरह चूहे आदि को मार डाले तो एक दिन रात अस्वाध्याय रहता है। वर्तमान में अस्थि-मास आदि को सामने से हटाने के बाद अस्वाध्याय नहीं माना जाता।

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, मास और रक्त का अस्वाध्याय भी समझना चाहिए। अन्तर केवल इतना ही है कि—इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। स्त्रियों के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन का एवं बालक, बालिका के जन्म का क्रमशः सात और आठ दिन का माना गया है।

(१४) अशुचि—टट्टी और पेशाब यदि स्वाध्याय स्थान के समीप हो और वे दृष्टिगोचर होते हो अथवा उनकी दुर्गन्ध आती हो तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

(१५) श्मशान—श्मशान के चारों तरफ सौ-सौ हाथ तक स्वाध्याय न करना चाहिए।

(१६) चन्द्रग्रहण—चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ और उत्कृष्ट बारह प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। यदि उगता हुआ चन्द्र अस्त हुआ हो तो चार प्रहर उस रात के एवं चार प्रहर आगामी दिवस के—इस प्रकार आठ प्रहर स्वाध्याय न करना चाहिए।

यदि चन्द्रमा प्रभात के समय ग्रहण सहित अस्त हुआ हो तो चार प्रहर दिन के चार प्रहर रात्रि के एवं चार प्रहर दूसरे दिन के—इस प्रकार बारह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिए।

पूर्ण ग्रहण होने पर भी वारह प्रहर स्वाध्याय न करना चाहिए। यदि ग्रहण अल्प-अपूर्ण हो तो आठ प्रहर तक अस्वाध्याय काल रहता है।

(१७) सूर्य ग्रहण—सूर्य ग्रहण होने पर जघन्य वारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिए। अपूर्ण ग्रहण होने पर वारह, और पूर्ण तथा पूर्ण के लगभग होने पर सोलह प्रहर का अस्वाध्याय होता है।

सूर्य अस्त होते समय ग्रसित हो तो चार प्रहर रात के, और आठ आगामी अहोरात्रि के—इस प्रकार सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिए। यदि उगता हुआ सूर्य ग्रसित हो तो उस दिन रात के आठ एव आगामी दिन-रात के आठ—इस प्रकार सोलह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिए।

(१८) पतन—राजा की मृत्यु होने पर जब तक दूसरा राजा सिंहासनारूढ न हो, तब तक स्वाध्याय करना मना है।

(१९) राजव्युद्ग्रह—राजाओं के बीच संग्राम हो जाय तो शान्ति होने तक तथा उसके बाद भी एक अहोरात्र तक स्वाध्याय न करना चाहिए।

(२०) औदारिक शरीर—उपाश्रय में पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च का अथवा मनुष्य का निर्जीव शरीर पडा हो तो सौ हाथ के अन्दर स्वाध्याय न करना चाहिए।

ये दश औदारिक-सम्बन्धी अस्वाध्याय है। चन्द्र-ग्रहण

[स्थानाग सूत्र]

निशीथ सूत्र के उन्नीसवें उद्देशे में आश्विन के बदले भाद्रपद की महाप्रतिपदा को अस्वाध्याय माना है, इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा और आसोज कृष्णा प्रतिपदा इन दो अस्वाध्यायो को वत्तीस अस्वाध्यायो में मिलाकर चौतीस अस्वाध्याय भी माने गये हैं ।

प्रश्न २२. आगमवाणी का महत्त्व और उसका आदर रखने के लिये यह आवश्यक है कि मय, शोक और घृणा रहित हो उचित देश काल में ही उसका पाठ किया जाय । किन्तु वर्तमान में जो ३२ या ३४ अस्वाध्यायें मानी गई हैं, उनमें कई निरुद्देश्य और अनावश्यक प्रतीत होती हैं जैसे चार महाप्रतिपदा और उनके साथ की पूर्णिमा, चाहे किसी समय इन्द्र रुद्र आदि के लिए कोई उन दिनों उत्सव या घोर हिंसा होती हो पर आज तो वैसा कुछ नहीं है । उलटे ईद और दशहरा के दिन

आजकल अधिक हिंसाए होती है। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं उन पडिवाओ के स्थान पर ईद आदि के दिनों को जोड़ दिया जाय। एवं उन दिनों अस्वाध्याय रक्ता जाय ?

उत्तर—३२ या ३४ अस्वाध्याये जो शास्त्र में बतलाई गई है, उनमें कोई भी निरुद्देश्य अथवा अनावश्यक नहीं है। फिर भी देशकाल के परिवर्तन से कुछ अनावश्यक प्रतीत हो सकती है, क्योंकि आगमकाल के समान आज पूर्णिमा पर इन्द्रादि के उत्सव नहीं होते और उनके स्थान पर नये पर्व होने लगे हैं जिनमें कि हजारों लाखों पशुओं के प्राणों से होली खेली जाती है। जहाँ कहीं ऐसा बीभत्स दृश्य गाव में हो वहाँ उस दिन अस्वाध्याय मानने में कोई बाधा नहीं है। टीकाकार आचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रतिपदा का अर्थ प्रतिपत् तक के चार महोत्सव समझने चाहिये। इनमें उत्सव जिस देश में जिस दिन से आरम्भ हो वहाँ उस दिन से लेकर उत्सव समाप्ति तक अस्वाध्याय काल समझना चाहिए।

१ चउसभासु न कीरइ, पाडिबएसु तहेव चउसु पि ।
जो जत्थ पूजती व, सब्वेहि सुगिम्हतो नियमा ॥

चतस्र प्रतिपद तद्यथा—आषाढ-पौर्णमासी प्रतिपत्, अश्व युक्पौर्ण मासी प्रतिपत्, कार्तिकी पौर्णमासी प्रतिपत्, सुग्रीष्म प्रतिपत्, चैत्रमास पौर्णमासी प्रतिपदित्यर्थ । इह प्रतिपद्-ग्रहणोन प्रतिपत्पर्यन्ताश्चत्वारो महा सूचिता इति एषा चतुर्णा महाना मध्ये यो महो यस्मिन् देशे ततो दिवसादारम्य यावन्त काल पूर्यते तस्मिन् देशे ततो दिवसादारम्य तावन्त काल स्वाध्याय न कुर्वन्ति । यत्पुन “सर्वेषा सब्वेसि जाव पाडिवतो” इति वचनात् सुग्रीष्मकश्चैत्रमासभावी पुनर्महामह सर्वेषु देशेषु

शुक्लपक्षप्रतिपदा आरभ्य चैत्रपूर्णांमासीप्रतिपत्पर्यन्तो नियमात्
प्रसिद्धः । (व्य० भा० उ० ७)

इस प्रकार दशहरा या ईद भी जयके अन्तर्गत आ जाते हैं। किन्तु इनका रूप सर्वत्र नियत नहीं होता, अतः पूर्णांमासी और प्रतिपदा को ही सर्वदेशी अरवाध्याय तरीके रखा है। सम्भव है हिंसा के प्रतिवाद में ये विरोध दिवस मान्य किये गये हों। देवी-उपद्रव से वाचक की आत्म रक्षा का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है।

जातीय संघर्ष में जहाँ मुसलमान नहीं होते वहाँ आज भी ईद नहीं मनाई जाती और अहिंसा प्रेमी शासकों के राज्यकाल में बलि-प्रथा भी बन्द कर दी गई थी। अतः महापडिवाओ के समान या इनके स्थान पर ईद या दशहरे आदि की अस्वाध्याय नियत नहीं की जा सकती। हा देशकाल के अनुसार हिंसा स्थल पर अनध्याय रखा जा सकता है जो पूर्वाचार्यों से समर्थित भी है।

प्रश्न २३ गज, बीज, उल्कापात, ग्रहण और बाल-चन्द्र आदि भय जनक स्थिति में अनाध्याय काल विभिन्न प्रकार से मिलता है, जैसे गजारिब विद्युत् और बालचन्द्र के लिए कुछ आचार्य २ पहर और कुछ एक पहर का काल कहते हैं जबकि दूसरे अनियत काल मानते हैं। चन्द्र ग्रहण और सूर्य-ग्रहण में कहीं ८-१२-१६ पहर का उल्लेख है तो कहीं ८ और १२ पहर का ही। कुछ आचार्य ग्रहण होने के पूर्व से अनध्याय मानते हैं तो चालू परंपरा में ग्रहण होने के (छूटने के) समय से, ऐसा क्यों? रजोद्योत और महिका की तरह जब तक गज बीज, और ग्रहणादि हो तब तक

गुञ्जारव करता हुआ महा गर्जन का ८ प्रहर अनाध्याय काल कहा गया है ।

यहा इतना स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि घूप या ग्रहण का अनाध्याय अशौच की दृष्टि से नहीं होकर उत्पात की दृष्टि से ही माना गया प्रतीत होता है । वैष्णव सम्प्रदाय मे ग्रहण का सूतक माना जाता है, सम्भव है टीकाकार के विचार इससे प्रभावित हो, वे लोग ग्रहण के कुछ समय पहले से लेकर ग्रहण मोक्ष के अनन्तर कुछ काल तक अशौच मानते हो । पर जैनाचार्यों ने ग्रहण काल मे शास्त्र पाठ का मात्र अनाध्याय माना है, किन्तु खाने पीने की वस्तुओं पर सूतक लगना नहीं माना और यह सूत्र-पाठ का अनाध्याय भी दैवी उत्पात की दृष्टि से मात्र आत्म-रक्षार्थ ही कहा गया प्रतीत होता है । अस्वाध्याय के निर्धारण मे लोक व्यवहार को भी लक्ष्य मे रखा गया हो तो आश्चर्य नहीं ।

प्रश्न २४ जैन-धर्म की परम्परा मे व्रतियों के लिये उपवास आदि व्रत मे सचित्त जल का निषेध है, अतः श्रावक श्राविकाओं को अपने लिये प्राप्त-अचित्त जल की व्यवस्था करनी होती है । इसके लिए या तो गर्म पानी बना लिया जाता है, अथवा राख से मले हुए भांडो को धोकर तथा राख या लवग आदि की लुगदी डालकर अचित्त बना लिया जाता है । आजकल ऐसी रीति है कि सामूहिक दया और रास्ते मे काम पड जाय तो गर्म पानी की व्यवस्था आसान नहीं होती अतः अधिकांश लोग का जल काम मे लिया जाता है । शास्त्रीय दृष्टि से अचित्त जल कैसा होना चाहिये, कृपया स्पष्ट करावें ?

उत्तर—जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है अतः आयविल-

एकासन और उपवास आदि किमी भी व्रत में यहाँ सचित वस्तु, फलफूल एवं कच्चे जलादि का उपयोग करना निषेध है। पौष की तरह एकासन या उपवास आदि व्रत में गृहस्थ को आरम्भ का त्याग नहीं होता, उसको सचित सेवन का ही त्याग है, गृहस्थ अपने वास्ते स्वयं भी अचित्त पानी बनाकर सेवन करता है, फिर भी लक्ष्य उसका आरम्भ घटाने का ही होता है। अचित्त पानी दो तरह से होता है, सहज भाव से बनाया हुआ जो स्थिति क्षय से जीवों के च्युत होने पर या पृथ्वी के ताप आदि से शस्त्र परिणत होता है जैसे—मेघ का पानी, भस्म-चूना या तपे हुए शिलातल पर से जो वह आया है वह सहज अचित्त हो सकता है, और चूल्हे पर गर्म किया हुआ तथा क्षार एवं अम्लादिपदार्थ से धोया हुआ प्रयोग कृत अचित्त है।

जगल में शस्त्र-परिणत सहज अचित्त जल का भी योग मिल सकता है, किन्तु वह ग्रहण नहीं किया जा सकता—कारण उसमें मिट्टी के संयोग से फिर जीवोत्पत्ति की शका रहती है। दूसरी बात उसका ग्रहण व्यवहार में अशुद्ध है। सहज शस्त्र-परिणत अचित्त जल के लेने से अशस्त्र परिणत में भी प्रवृत्ति हो सकती है। अतः वह अग्राह्य है आचीर्ण नहीं है। अब रही बनाये हुए अचित्त जल की बात—वह दो प्रकार का है। एक उष्ण जल गर्म किया हुआ और दूसरा धोया हुआ जिसको धोवन कहते हैं। साधुओं की आचार व्यवस्था दिखलाते हुए आचाराग और दशवैकालिक आदि सूत्रों में अचित्त जल का स्वरूप बताया गया है। जैन धर्म की श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में ऐसे अचित्त जल का उल्लेख मिलता है। साधु के लिये २० प्रकार का धोवन और एक गर्म जल इस प्रकार २१ तरह के अचित्त जल बताकर वैसे अन्य भी जल ले सकते हैं, ऐसा कहा गया है।

जैसा कि आचार्य प्रगितगति ने अपने मुभाषित रत्न
सदोह में लिखा है ।

स्पर्शेन वर्णैर्न रसेन गन्धाद्, गदन्य सा चारि गत ग्वभाच ।
तत्प्रासुक साधु-जनस्य योग्य, पातु मुनीन्द्रा निगदन्ति
जैना ॥२१४॥

अर्थात् जिस पानी का स्वभाव वर्ण, गंध, रस और स्पर्श
से अन्यथा रूप ही जाय यानी बदल जाय, वह अचित्त जल
साधुओं के लिए ग्राह्य है । ऐसा जैन महर्षियों ने कहा है ।

जिस द्रव्य में जितना वर्ण-गंध-रस और स्पर्श तेज होता
है, उस द्रव्य से मिश्रित जल उतना ही जल्दी परिणत होता है
अर्थात् अचित्त होता है । इतना ध्यान रखना चाहिये कि
अशुभवर्णादि की उत्कटता में जितना जल्दी परिणामन होता है
उतना शुभ में जल्दी नहीं होता । कहा भी है—

वर्ण-रस-गंध-फासा, जह दब्बे जम्मि उक्कडा होति ।
तह तह चिर न चिट्ठइ, असुभेसु सुभेसु कालेण ॥

५९१४॥

जैसे—कही पानी में चन्दन का घोल मिला दिया
जाय, जैसा कि देवमूर्तियों के प्रक्षालन में होता है तो चन्दन का
कड़वा रस जो पानी के लिये शस्त्र है परन्तु उसकी शीतलता
उपकारी है अतः वह पानी जल्दी शस्त्र-परिणत नहीं होता
किंतु कुछ काल से अचित्त होता है । तक्र के खट्टे रस से भी
ऐसे ही धोया हुआ पानी अचित्त होता है । घी के किट्टे से
भी जल का परिणामन चिर-काल से होता है । तदुल के
अपरिणत जल में यदि सचित्त जल मिला दिया जाय तो वे
दोनों कुछ काल से परिणत हो जाते हैं ।

पहले गर्म जल के लिये कहा है—“उसिणादेग तत्तफासुय पडिगाहिज्ज मजए” गर्म जल जो अच्छी तरह तप कर निर्जीव हो चुका है उसे त्रती ग्रहण कर सकते हैं ।

घोये हुए पानी के लिये कहते हैं —“अहुणा-धोय विवज्जए” तत्काल का धोया हुआ पानी नहीं लेना चाहिये ।

प्रश्न २५ धोया हुआ पानी कितने प्रकार का और कंसा ग्रहण करने योग्य होता है इसके लिये मूल-सूत्र के उल्लेख और अचित्त जल की पहचान क्या ? स्पष्ट कराने की कृपा करें ।

उत्तर—बृहत्कल्प सूत्र के भाष्य में कहा है कि—

आयाम ससृष्ट पानक—गोरस भाजन धावनम्, उपशो-
दकवा 'निवृत' चोप्रासुकीभूत, 'चाउलोदग' गृहन्ति । वृ०-
भा० । अर्थात् दूध-दही तन्नादिके भाजन का धोवन अथवा
गर्म जल और चावली का पानी ग्रहण करते हैं । दूध वाले के
यहां सहज दूध-दही के भांड धोये ही जाते हैं, शस्त्र परिणत होने
से वह ग्राह्य माना गया है ।

दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि—जजाणिज्ज चिराधोय
मइए दसरोण वा, पाडिपुच्छिऊण सोच्चावा, ज च निस्सकिअ
भवे, अजीव परिणाय एच्चा, पडिगाहेज्ज सजए । ६० ५।

जो जल चिरकाल का धोया हुआ है ऐसा देखकर या
अनुमान से जान ले अथवा पूछकर मालूम करे और शकारहित
हो तब निर्जीवपन से परिणत समझ कर साधु उसे ग्रहण कर
सकते हैं । शस्त्र-परिणत अचित्त जल की परीक्षा त्रण-गध-रस
और स्पर्श बदलने से की जाती है ।

जैसा कि आचार्य अमितगति ने अपने सुभाषित रत्न सदीह में लिखा है ।

स्पर्शेन वर्णेन रसेन गघाद्, यदन्यथा वारि-गत स्वभाव ।
तत्प्रासुक साधु-जनस्य योग्य, पातु मुनीन्द्रा निगदन्ति
जैना ॥२१४॥

अर्थात् जिस पानी का स्वभाव वर्ण, गघ, रस और स्पर्श से अन्यथा रूप हो जाय यानी बदल जाय, वह अचित्त जल साधुओं के लिए ग्राह्य है । ऐसा जैन महर्षियों ने कहा है ।

जिस द्रव्य में जितना वर्ण-गघ-रस और स्पर्श तेज होता है, उस द्रव्य से मिश्रित जल उतना ही जल्दी परिणत होता है अर्थात् अचित्त होता है । इतना ध्यान रखना चाहिये कि अशुभवर्णादि की उत्कटता में जितना जल्दी परिणामन होता है उतना शुभ में जल्दी नहीं होता । कहा भी है—

वर्ण-रस-गघ-फासा, जह दव्वे जम्मि उक्कडा होति ।
तह तह चिर न चिट्ठइ, असुभेसु सुभेसु कालेण ॥

५६१४॥

जैसे—कही पानी में चन्दन का घोल मिला दिया जाय, जैसा कि देवमूर्तियों के प्रक्षालन में होता है तो चन्दन का कड़वा रस जो पानी के लिये शस्त्र है परन्तु उसकी शीतलता उपकारी है अतः वह पानी जल्दी शस्त्र-परिणत नहीं होता किंतु कुछ काल से अचित्त होता है । तक्र के खट्टे रस से भी ऐसे ही घोया हुआ पानी अचित्त होता है । घी के किट्ट से

पहले गर्म जल के लिये कहा है—“उसिणादेग तत्तफासुर पडिगाहिज्ज सजए” गर्म जल जो अच्छी तरह तप कर निर्जीव हो चुका है उसे त्रती ग्रहण कर सकते हैं ।

धोये हुए पानी के लिये कहते हैं —“अहुणा-धोय विवज्जए” तत्काल का धोया हुआ पानी नहीं लेना चाहिये ।

प्रश्न २५ धोया हुआ पानी कितने प्रकार का और कैसा ग्रहण करने योग्य होता है इसके लिये मूल-सूत्र के उल्लेख और अचित्त जल की पहचान क्या ? स्पष्ट कराने की कृपा करें ।

उत्तर—बृहत्कल्प सूत्र के भाष्य में कहा है कि—

आयाम ससृष्ट पानक—गोरस भाजन धावनम्, उष्णो-दकवा 'निवृत' वोप्रासुकीभूत, 'चाउलोदग' गृहन्ति । वृ०-भा० । अर्थात् दूध-दही तक्रादि के भाजन का धोवन अथवा गर्म जल और चावलो का पानी ग्रहण करते हैं । दूध वाले के यहाँ सहज दूध-दही के भांड धोये ही जाते हैं, शस्त्र परिणत होने से वह ग्राह्य माना गया है ।

दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि—जजाणिज्ज चिराधोय मइए दसणेण वा, पाडिपुच्छिऊण सोच्चावा, ज च निस्सकिअ भवे, अजीव परिणय एच्चा, पडिगाहेज्ज सजए । द० ५।

जो जल चिरकाल का धोया हुआ है ऐसा देखकर या अनुमान से जान ले अथवा पूछकर मालूम करे और शकारहित हो तब निर्जीवपन से परिणत समझ कर साधु उसे ग्रहण कर सकते हैं । शस्त्र-परिणत अचित्त जल की परीक्षा वर्ण-गंध-रस और स्पर्श बदलने से की जाती है ।

जैसा कि आचार्य अमितगति ने अपने सुभाषित रत्न सद्दोह में लिखा है ।

स्पर्शेन वर्णेन रसेन गधाद्, यदन्यथा वारि-गत स्वभाव ।
तत्प्रासुक साधु-जनस्य योग्य, पातु मुनीन्द्रा निगदन्ति
जैना ॥२१४॥

अर्थात् जिस पानी का स्वभाव वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से अन्यथा रूप हो जाय यानी बदल जाय, वह अचित्त जल साधुओं के लिए ग्राह्य है । ऐसा जैन महर्षियों ने कहा है ।

जिस द्रव्य में जितना वर्ण-गंध-रस और स्पर्श तेज होता है, उस द्रव्य से मिश्रित जल उतना ही जल्दी परिणत होता है अर्थात् अचित्त होता है । इतना ध्यान रखना चाहिये कि अशुभवर्णादि की उत्कटता में जितना जल्दी परिणामन होता है उतना शुभ में जल्दी नहीं होता । कहा भी है—

वर्णा-रस-गंध-फासा, जह दव्वे जम्मि उक्कडा होति ।
तह तह चिर न चिट्ठइ, असुभेसु सुभेसु कालेण ॥

५९१४॥

जैसे—कही पानी में चन्दन का घोल मिला दिया जाय, जैसा कि देवमूर्तियों के प्रक्षालन में होता है तो चन्दन का कडवा रस जो पानी के लिये शस्त्र है परन्तु उसकी शीतलता उपकारी है अतः वह पानी जल्दी शस्त्र-परिणत नहीं होता किंतु कुछ काल से अचित्त होता है । तक्र के खट्टे रस से भी ऐसे ही धोया हुआ पानी अचित्त होता है । धी के किट्ट से भी जल का परिणामन चिर-काल से होता है । तदुल के अपरिणत जल में यदि सचित्त जल मिला दिया जाय तो वे दोनों कुछ काल से परिणत हो जाते हैं ।

दाडिम-दाख-केर-आम और कठोत आदि के धोए हुये पानी के लिये भी ऐसा ही समझना चाहिये । लौंग का पानी और वादाम का धोया हुआ जल व त्रिफला का पानी भी शस्त्र परिणत होता है । रसोई मे आटा की परात वगैर का धोया हुआ पानी और परडे के लोटे कलसे आदि जो सफाई के लिये राख से माज कर धोये जाते है वह पानी भी शस्त्र परिणत होने से अचित्त होता है । किन्तु शक्कर घोला हुआ पानी कदाचित्त शस्त्र परिणत हो भी जाय तो व्रती के लिये उसका उपयोग शोभाजनक प्रतीत नहीं होता । कुछ लोग घडे भर पानी मे जरा राख की पोटली घुमाकर या थोडी राख डालकर भी पक्का पानी करते है । राख मे तीक्ष्ण स्पर्श होते हुए भी घडे भर पानी मे ऊपर से थोडी डाली हुई राख या चूना से पानी अचित्त होता है या नही यह विचारणीय बात है ।

प्रश्न २६ कुछ लोग धोवन का निषेध करते और उसको कच्चा मानते हैं तो कुछ गर्म पानी को सदोष बतलाते हैं, यह कहा तक ठीक है ?

उत्तर—जो लोग धोवन के जल का निषेध कर एकान्त गर्म जल का ही विधान करते हैं, वे सिद्धान्त वचन को भूलते है । सिद्धान्त मे धोवन एव गर्म जल दोनो प्रासुक व ग्राह्य माने गये है । दिगम्बर परम्परा मे भी श्वेताम्बर परम्परा की तरह अचित्त जल का उल्लेख करते हुए स्पष्ट धोवन के नाम निर्दिष्ट है, जैसे कि —

तिल-तदुल, उसिणोदय, चणोदय-तुसोदय अविद्धत्थ ।

अप्पण त्हाविह वा, अपरिणइ नेव गिण्हेज्जा ॥

॥ मूलाचार ५४ ॥

आचाराग सूत्र, दशवंकालिक और भगवती आराधना आदि श्वेताम्बर-दिगम्बर परम्परा के शास्त्रों में धोवन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अतः धोवन जल का एकान्त निषेध करना या उसको कच्चा मानना भूल है। थोड़ी राख या ५-१० ग्रांम डाल कर जो घड़ा भर अचित पानी कर लिया जाता है, वह अवश्य विचारणीय है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धोवन में द्रव्य के मिश्रण से जल का रंग, रूप और स्वाद बदलना जरूरी है। यद्यपि सफेद राख या आटे का पानी नितर कर साफ हो जाता है, फिर भी अच्छी तरह फरसा हुआ होगा तो स्वाद में जरूर अंतर पड़ जायगा। पहले समय में सामूहिक व्रताव्रत आदि के समय वर्षखाने या पवन चक्की आदि से गर्म पानी मगा लिया जाता था। इजन से जो गर्म-पानी व्यर्थ ही फेंका जाता उसका भी इस तरह उपयोग हो जाता था। उसको छानकर व्रतियों के सामूहिक व्रताराधन में काम लिया जाता था। दूसरा तरीका २०-३० घरो से थोड़ा थोड़ा अचित पानी मगा कर इकट्ठा कर लिया जाता—इससे भी व्रत का सम्यक् आराधन हो जाता था। आज आलस्य से कुछ व्यवस्था बिगड़ गई है, उसमें सुधार होना आवश्यक है।

मूर्ति पूजक समाज में जब आयबिल या उपधान आदि किये जाते हैं तब वही पर गर्म पानी उवाल लिया जाता है और वे एकान्त गर्म-जल का ही उपयोग करते हैं। शास्त्र सम्मत होते हुए भी धोवन का उपयोग नहीं करते। यह एकान्त-वाद उचित नहीं है।

तेरापथी समाज में अलग ही रिवाज है। उनके यहाँ राख या चूना डाल कर घड़ो भर पका पानी कर लिया जाता है और फिर सारा घर भर उसका उपयोग करता है। इन दोनों

उत्तर—यह ठीक है कि जैन माधु साध्वी अनारम्भी और अपरिग्रही होते हैं वे किसी प्रकार का संग्रह नहीं करते और न अतिक लेकर डधर उधर कहीं भेजते या किसी को देते हैं। उनके द्वारा समय रक्षा के लिए आवश्यक धर्मोपकरण रखना और उनका सम्मार्जन-प्रमार्जन करना भी आरम्भ से बचने के लिए ही है। अपने पास रखे हुए वस्त्रादि की अपेक्षा गृहस्थ से अल्पकाल के लिए ग्रहण किये गये वस्त्रादिको में

रक्षण एव सम्मार्जन की अधिक भ्रष्ट होती है । सदा इस बात के लिए सतर्क रहना पडता है कि कही यह गुम न जाय, सावधानी रखते हुए भी गुम हो गया तो गृहस्थ की अप्रीति एव खिन्नता अवश्यम्भावी है । फिर यह भी सम्भव है कि साधु को देने के लिए गृहस्थ वस्त्रादि को धो डाले । यदि कोई जैनेतर व्यक्ति हुआ तो साधु के द्वारा उपयोग मे लिए गये वस्त्रादि को पीछे धो डालेगा, जो आरम्भ वृद्धि का कारण है । साधु को अपनी नेश्राय के वस्त्रादि मे किसी को प्राय अपहरण आदि की इच्छा ही नहीं होगी, कारण वे प्राय कम-कीमत के और जीर्ण शीर्ण होंगे । मलिन और कम कीमत को देखकर उसे कोई लेना नहीं चाहेगा और कदाचित्त किसी नये वस्त्रादि का अपहरण हो भी गया तो उसमे किसी गृहस्थ को दु ख पैदा होने की सम्भावना नहीं है । फिर गृहस्थ से वस्त्रादि लिया जाने लगा तो उसमे प्रमाण भी नहीं रहेगा और अल्पोपधि रूप निर्जरा का लाभ प्राप्त नहीं होगा । इससे साधु-वर्ग मे सुख-शीलता बढ जाने की सम्भावना रहेगी । यही कारण है कि शास्त्र मे लेकर दी जाने वाली वस्तुओं मे औषध, भौषज्य और पीठ-फलक-शय्या-सस्तारक ही बताए गए है, जिनमे प्राय हरण आदि की सम्भावना नहीं रहती । वस्त्र, पात्र, रजोहरण या कम्बलादि के लिये पडिहारिक लेने की अनुमति नहीं है । आजकल धोने के पात्र पडिहारे लेने की पद्धति चल रही है । यदि इसी प्रकार कम्बल या जल-पात्रादि भी लिये जाने लगे तो उपाश्रय मे गृहस्थ इनको मगाकर रखने की व्यवस्था करने लगेंगे । अत आवश्यकतानुसार जहा जो चाहा वस्त्रादि लेकर जाते समय दे जाना, ऐसी रीति उचित प्रतीत नहीं होती । पीठ फलक की तरह वस्त्र, पात्र और कम्बल के पडिहारा लेने का शास्त्र मे कही उल्लेख भी नहीं है, न इनके पडिहारा लेने की परम्परा ही है । कुछ सम्प्रदायो

मे ऐसी परम्परा है पर स्थानकवासी समाज मे ऐसी मान्यता नहीं है ।

प्रश्न २६. जैन परम्परा मे उपवास करने वाले भाई बहिन ११वा और १०वा दो प्रकार का पौषध करते हैं । ११वा पौषध जिसके लिए आवश्यक सूत्र मे प्रतिज्ञा पाठ आता है, उसमें चारो आहार के त्यागपूर्वक आठ पहर तक सावद्य कर्म का त्याग होता है । आजकल जो निजल व्रत करता है वह भी दिन के पिछले समय मे आकर ११ वा व्रत ग्रहण कर लेता है, इसमे कम से कम कितना समय दिन का होना आवश्यक है और क्या जल ग्रहण करने वाला भी “पाण” शब्द निकाल कर ११वें व्रत के पाठ से पौषध का पचचक्खाण कर सकता है ? दशवें व्रत-पौषध के पचचक्खाण का क्या पाठ होना चाहिए आदि प्रश्न खड़े होते हैं क्योंकि प्रतिक्रमण सूत्र मे दशवें व्रत का जो पाठ है उसके द्वारा व्रत ग्रहण करने पर तो नियमित भूमि से बाहर जाकर पांच आश्रव सेवन के ही त्याग होते हैं । नियमित सीमा के भीतर साधक, आश्रव प्रवृत्ति मे खुला रहता है । ऐसी स्थिति मे इस पाठ से संवर या १०वा पौषध करना ठीक नहीं रहता, इसका क्या समाधान है ? कृपया स्पष्ट करावें ।

उत्तर—मूल पाठ मे पौषध नाम से ११वा व्रत ही कहा जाता है, कारण उस समय उपवास करने वाले अहोरात्रि का ही पौषध करते थे, पर आज वह स्थिति नहीं है । आज उपवास करके भी लोग गृहकार्य मे लगे रहते है । उनकी दृष्टि से आचार्यों ने देश पौषध और सर्व पौषध का भेद किया है । आहार, शरीर श्रु गार, कुशील एव सावद्य व्यापार के आशिक त्याग को देश पौषध एव पूर्ण त्याग को सर्व पौषध कहा है ।

इसी दृष्टि से त्रिविधाहार त्याग एव रात्रि संवर वाले को देश पौषध की सज्ञा दी गयी है। देश पौषध को ही पूर्वाचार्यों ने दशवे पौषध के नाम से पुकारा है।

प्रश्न ३० कुछ ऐसी भी मान्यता है कि पौषध एक ही प्रकार का होता है दशवां पौषध नहीं होता, फिर यह दशवा पौषध अलग क्यों किया जाता है ?

उत्तर—पौषध का अर्थ है अष्टमी आदि पर्व तिथियों में किये गये उपवास को पौषधोपवास कहा गया है। जैसे कि टीका में कहा है—पौषध शब्दो रूढ्या पर्व सुवर्तते। यह पौषधोपवास चार तरह का कहा गया है जैसा कि कहा है पोसहोव-वासे चउव्विहे पण्णते तजहा आहार पोसहे १, सरीर सक्कार पोसहे २, वभचेरपोसहे ३, अब्वावार पोसहे ४। आहार, शरीर सत्कार, कुशील और सावद्य व्यापार के त्याग में कोई एक भी त्याग पौषध कहा जाता है। व्रतो में पौषध का नाम एक ही में आने से यदि सबको ११वा व्रत माना जाने लगा तो एकासन भी पौषधोपवास में गिना जायगा, पर ऐसा इष्ट नहीं है। टीकाकारों ने चारों का देश अथवा सर्वथा त्याग करना भी पौषध माना है। शब्दार्थ की दृष्टि से यह ठीक होते हुए भी प्रवृत्ति रूप से ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। भले ही भगवती सूत्र में सख श्रावक के खा पीकर पौषध करने के उल्लेख से आज के दया रूप पौषध को भी कोई ११वा व्रत समझ ले परन्तु जब व्रत के प्रतिज्ञा सूत्र पर विचार किया जाता है तब प्रतीत होता है कि उसमें “तिविह चउव्विहपि आहार” की तरह देश और सर्व-पौषध का ऐच्छिक प्रतिज्ञा पाठ नहीं है। पाण या असण, पाण, खाइम, साइम, निकाल कर प्रतिज्ञा पाठ पढना ठीक नहीं। देश एव सर्व का भेद नहीं करने पर स्नान

त्याग जो १०वें व्रत का अंग हो सकता है और कुंजी व त्याग
 तीर्था व्रत है, शब्दार्थ की दृष्टि से इनको भी ११वां व्रत
 माना होगा, जो परम्परा के विरुद्ध है।

शास्त्रों में जहाँ भी किसी धावन के पौषध आगमना
 का उल्लेख मिलता है वहाँ "पडिपुन्न पोसह सम्म अगुपाने-
 माणा विहरन्ति" ऐसा पाठ आता है। सम्राट भक्त के देश
 साधन के समय अष्टम-तप के साथ किया गया पौषध जो व्रम
 तप नहीं है वह भी पूर्ण अहोरात्रका है। इन सब पौषध के
 उदाहरणों में सम्पूर्ण अहोरात्रि का काल ग्रहण किया गया है।
 यदि दिन के अन्त में आने वाले साधक को केवल आहार त्याग
 के कारण ११वां व्रत का अधिकारी मान लिया जाय तो
 प्रतिज्ञा सूत्र का रूप भी बदलना होगा। "अहोरात्र" के स्थान
 पर "जावरत्त" शब्द बोलना होगा।

अतः हमारी समझ से आचार्यों ने जल ग्रहण करने वालों
 के लिए दशवें पौषध की परम्परा इसीलिए कायम की होगी
 कि सम्पूर्ण पौषध की परिपाटी चालू रहे और कक्षा भेद करने
 से देश पौषध करने वाले भी साधना से वंचित नहीं रहे। यदि
 सायकाल का पौषध, दया और तिविहार उपवास युक्त पौषध
 तथा ५ एव ८ पहर के पौषध की एक ही कक्षा मान ली जाय
 तो साधारण व्यक्ति प्रतिपूर्ण पौषध करने का कष्ट नहीं करेगा।
 ११वें व्रत के नियम वाले भी दया एव सायकाल के पौषध से
 ही अपने व्रत की पूर्ति लेंगे।

निर्जल उपवास करने वाला कम से कम १ पहर का दिन
 रख कर पौषध करे, ऐसी पूर्वाचार्यों की परम्परा है। इस प्रकार
 'अहोरात्र' शब्द की भी सार्थकता हो जाती है। पूरे आठ पहर
 व्रत की साधना करने वाला 'पडिपुन्न पोसह' शब्द बोलता है,

वहा पाच पहर वाला व्रती केवल 'इगारवा पोसह' इतना ही पाठ बोलता है, यह अन्तर है ।

दशवे पौषध और सवर मे मर्यादित भूमि के अन्दर और बाहर आश्रव सेवन का त्याग होता है । इसलिये दशवे व्रत के चालू पाठ से पौषध का पच्चखाण नहीं होता, उसमे केवल मर्यादित भूमि के बाहर पाच आश्रव सेवन का ही त्याग होता है । अतएव या तो नियम के पाठ मे 'नियमित भूमि के बाहर और भीतर पाच आश्रव सेवन का पच्चखाण जावरत्ति' ऐसा पाठ कहा जाय अथवा सवर के पाठ की तरह-द्रव्य से पाच आश्रव सेवन का, क्षेत्र से सब क्षेत्र मे, काल से सूर्योदय अथवा जाव 'अहोरत्त,' भाव से दो करण ३ योग से न करेमि न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा—इस प्रकार पच्चखाण करना उचित लगता है । परम्परा से इसी प्रकार दशवे देश पौषध का पच्चखाण कराया जाता है ।

प्रश्न ३१ गुरुदेव ! साधना के समय मन का भटकना कैसे कम हो, उसका सरल उपाय हो तो बतलाइये ?

उत्तर—भाई ! बात कहने मे तो सरल है, पर उस पर अमल करना कठिन है । सतो ने दो शब्द मे कह दिया है, मन की दौड का क्षेत्र सीमित करने का अभ्यास किया जाय तो भटकना कम हो सकता है । जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता मे कहा है—

असशय महाबाहो ! मनो दु निग्रह चल ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च धार्यते ॥

हम देखा करते हैं कि एक शाकाहारी व्यक्ति जिसको माँस से घृणा हो चुकी है, माँस की प्रशंसा सुनकर और देखकर भी उसकी कभी इच्छा नहीं होती । उसे ऐसा स्वप्न भी नहीं आता । माता वहन को आदर से देखने वाला तरुण भी खुले वदन और एकान्त मे भी मा वहन को देखकर बुरे

भाव नहीं करता, मातृ गमन का उसे कभी स्वप्न भी नहीं आता ।

भारत के सतों ने त्याग का उपदेश भी इसीलिये दिया है । जिन पदार्थों का हमने त्याग कर दिया, उसकी ओर मन की दौड़ कम हो जायेगी । एक विद्यार्थी को व्यापार की और व्यापारी को खेल कूद की इच्छा नहीं होगी । आप लोगों को जैसे शादी, न्याह, उद्योग-धधे और लेन-देन आदि के स्वप्न आते हैं, पर सतों को कभी ऐसा स्वप्न नहीं आता । उनको भक्तों के सुख-दुख, धर्म-प्रचार, शिष्यप्राप्ति, विविध ग्रामों में भ्रमण, लिखना, शास्त्र ग्रहण आदि के विचार आ सकते हैं । ऐसा क्यों ? उनके सम्पर्क का क्षेत्र छोटा व स्नेह और राग का क्षेत्र ओछा है । अतः वैराग्य को मन की दौड़ सीमित करने का और अभ्यास को स्थिर करने का उपाय कहा गया है ।

बालक गाँव के खुले मैदान में खेलता हुआ कहीं भटक सकता है पर उसको खिलौने देकर किसी बाड़े में छोड़ दिया जाय तो वह वही खेलता रहेगा, बाहर नहीं जायेगा । यही हाल साधक के मन का है ।

श्री अंतगड़ दशांग
के
प्रश्नोत्तर

अन्तगड-दशांग के विचारणीय स्थल

प्रश्न १ नेमिनाथ भगवान् के छ मुनि तीन सघाडे बनाकर अलग-अलग भिक्षा के लिये गये ऐसा बयो, क्या पूर्व समय मे सारे श्रमणो की एक ही गोचरी नही होती थी ?

उत्तर—छ मुनियो द्वारा तीन सघाडे बनाकर भिक्षार्थ जाने के उल्लेख से प्रतीत होता है कि पूर्व समय मे सामूहिक गोचरी की अपेक्षा इस प्रकार प्रत्येक सघाडे की भिन्न भिन्न गोचरी ही अधिक हुआ करती थी। उसमे समय भी कम लगता और आहार की गवेषणा भी आसानी से होती। सभव है इसी-लिये भगवान् नेमिनाथ के शासन मे छ मुनियो के अलग अलग सघाडे किये गये हो। दूसरी इसके पीछे यह भी भावना रही हुई है कि हर मुनि ज्ञान ध्यान की तरह भिक्षा को भी अपना प्रधान कर्तव्य समझे और उसमे सकोच अनुभव नही करे। इसलिये स्वयं गौतमस्वामी भी बेले के पारणो मे खुद जाकर भिक्षा लाते ऐसा शास्त्रीय लेख है। छोटा बडा हर साधु भिक्षा लाना अपना कर्तव्य समझता था। आज की सामाजिकता मे जन-सपर्क और विद्यार्थी मुनियो का अभ्यास, बडे साधुओ का सघ-संचालन एव आगतजनो को ज्ञान-दान सरलता से हो इस लिये सामूहिक भिक्षा होने लगी है। लाभ की तरह इसमे कुछ हानि भी है। शहर मे अधिक साधुओ की गोचरी मे २-२॥ घटे सहज पूरे हो जाते हैं, ज्ञान-ध्यान के लिए समय निकालना

कठिन हो जाता है। फिर पूर्व समय की तरह आज उन्मुक्त कुलो की भिक्षा भी नहीं होती। प्रायः समाज के माने हुए घरों में ही जाना होता है। अतः व्यवस्था के लिये सबकी एक गोचरी कर दी गई। यदि अलग-अलग सघाड़ों की भिक्षा रखते तो कौन-कौन घरों में जावे यह व्यवस्था भारी हो जाती। फिर विभिन्न गण और संप्रदायों के हो जाने पर एक सघाड़े से दूसरे सघाड़े का भेद प्रतीत न हो और गण का बाहर में एक रूप दिखे इस-लिये भी सामूहिक गोचरी का चलन आवश्यक प्रतीत हो गया है।

प्रश्न २ शास्त्र में उच्च, नीच और मध्यम कुल की भिक्षा का वर्णन आता है, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यहां जाति की दृष्टि से ऊँच-नीच कुल का मतलब नहीं है। व्यवहार में जो भी धृष्ट या निषिद्ध कुल है, उनमें भिक्षा ग्रहण करने का तो पहले ही शास्त्र में निषेध है। आचाराग द्वितीय श्रुतस्कंध और निषीथ इसके साक्षी हैं, अतः यहाँ उच्च नीच और मध्यकुल भवन, प्रतिष्ठा और संपदा की दृष्टि से समझने चाहिये। प्रासादवासी उच्च, मझली स्थिति वाले मध्य और भोपड़ी में रहने वाले तथा परिवार से छोटे कुल नीच कुल समझने चाहिये। शास्त्र में भिक्षा विधि बतलाते हुए कहा है—‘नीच कुल मझकम्म, ऊसठ नाभिधारण’ छोटे कुल को लाभ कर साधु ऊँचे कुल-भवन में न जाए। यहाँ नीच और उच्छ्रित से उच्च ये दो ही कुल बतलाये हैं। इसलिये नीच से निषिद्ध कुल समझना ठीक नहीं। निर्ग्रन्थ मुनि छोटे बड़े सभी घरों में निस्सकोच भिक्षा करते थे। कारण वे अप्रतिबद्ध विहारी थे। इस प्रकार, सामूहिक भिक्षा से अज्ञात जनो में धर्म का सहज प्रचार हो जाता था। धर्म प्रचार के लिये

आज भिक्षा में उदार दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है। आचाराङ्ग सूत्र के अनुसार जैन साधु के लिये वारह कुल की गोचरी बताई गयी है।

वे कुल इस प्रकार हैं—(१) उग्रकुल (२) भोगकुल (३) राजन्यकुल (४) क्षत्रिय कुल (५) इक्ष्वाकु कुल (६) हरिवंश कुल (७) एष्य (गोपाल) कुल (८) ग्राम रक्षक कुल (९) गडक नापित कुल (१०) कुट्टाक कुल (११) वर्द्धकी कुल (१२) बुक्कस (तन्तुवाय) कुल इस प्रकार के अन्य भी अद्भुत गुच्छनीय कुल में जैन मुनि भिक्षा ले सकते हैं।

[आचाराङ्ग, श्रुतस्कन्ध २, अध्यायन १७० २, सूत्र ११]

प्रश्न ३ देवकी के पुत्रों का हरिणंगमेषी द्वारा सहरण क्यों किया गया ?

उत्तर—देवकी ने पूर्व जन्म में अपनी जेठानी के छ रत्न चुराये थे। उसके बदले में इसके छ पुत्र चुराये गये। उसके कृत कर्म का यह भोग था। कथा इस प्रकार है—

सुलसा और देवकी पूर्व जन्म में देवरानी और जेठानी थी। एक बार देवकी ने सुलसा के ६ रत्न चुराकर भय के वश किसी चूहे के बिल में डाल दिये। बिल में छुपाने का मतलब यह था कि खोजने पर कदाचित् मिल भी जाय तो मेरी बदनामी नहीं हो, और चूहों ने इधर उधर कर दिया समझ कर सतोष कर लिया जायगा। कदाचित् उनको नहीं मिले तो कुछ दिनों के बाद मैं इन्हें अपने बना सकूंगी। सयोगवश वे रत्न देवरानी को मिल गये और उनकी नजरों में चूहा चोर समझा गया। कहा जाता है कि वह चूहा हरिणंगमेषी देव

बना और पूर्वभव में देवराणी मुलसा के रत्न चुराने के कर्म के फलस्वरूप देवकी के पुत्रों का हरण हुआ और चूहे पर चोरी का दोष मढ़ा जाने से 'हरिगौगमेपी' देव ने उनका हरण कर मुलसा के पास पहुँचाये। 'हरिगौगमेपी' देव ही चूहे का जीव कहा गया है। देवकी ने जेठानी के रूप में रत्न चुराये अतः उसको पुत्र रत्न की चोरी का फल भोगना पडा।

प्रश्न ४ देवकी को भविष्य कहने वाले, अतिमुक्त-कुमार श्रमण कौन थे और वे किस तीर्थकर के समय हुए ?

उत्तर—देवकी को पोलासपुरी नगरी में भविष्य कहने वाले अतिमुक्त कुमार श्रमण-भगवान् महावीर के शिष्य अतिमुक्त से भिन्न है। ये इक्कीसवें तीर्थकर नेमिनाथ के शासनवर्ती हैं। अतिमुक्तक मुनि कसराज के छोटे भाई थे। जब उग्रसेन को कारावास में डालकर कस स्वयं मथुरा का राजा बन गया तो अतिमुक्तक कुमार को वैराग्य हो गया। उसने दीक्षा ग्रहण करली, और उग्रतप करने लगा। दीक्षित होकर उन्होंने मास-क्षमण की तपस्या की। एक बार विचरण करते हुए मथुरा नगरी आए और भिक्षार्थ घूमते हुए कस के घर में प्रवेश किया। कस की पत्नी जीवयशा उस समय अपनी ननद देवकी का सिर गून्थ रही थी। अतिमुक्त श्रमण के आने पर जीवयशा उनके जाने का मार्ग रोककर खड़ी रही और देवर मुनि से हसी करती हुई बोली—महाराज। तुम्हारा भाई राज्य करता है और तुम लिये घर घर मागते फिरते हो, इससे हमको बड़ी लज्जा ती है। छोड़ो इस वेश को और राज्य में आ जाओ। इस अधिक समय तक हसी करने पर मुनि से नहीं सहा गया। रुष्ट हो जीवयशा से कहा—क्यों इतना गर्व करती

हे, जिसके तुम वाल गून्थ रही हो उसी बालिका का सातवा पुत्र तुम्हें विधवा बनायेगा। वह तुम्हारे पति और पिता दोनों का सहारक होगा। अभी तुम्हारे पुण्य थोड़े शेष हैं। अतः गर्व मत करो। ऐसा कह कर मुनि चले गये। छ मुनियों को देखकर देवकी को अतिमुक्त मुनि की बात याद आ गई। इस प्रकार ये अइमुक्तमुनि भ महावीर के शासनवर्ती अइमुक्त से भिन्न हैं।

प्रश्न ५ अतगडदशा मे वर्णित अइमुक्त कुमार और भगवती सूत्रानुसार पानी मे पात्र तिराने वाले एवन्ता मुनि एक हैं या अन्य। एक हैं तो उनकी सक्षिप्त घटना क्या है ? और किस शास्त्र में है ?

उत्तर—पात्र तिराने वाले एवन्ता कुमार भ० महावीर के शिष्य थे। अतगड मे वर्णित अइमुक्त मुनि से भिन्न नहीं, एक ही है। घटना इस प्रकार है —

वर्षा हो चुकने पर जब अतिमुक्त मुनि बगल मे छोटा सा रजोहरण और हाथ मे पात्री लिये स्थविरो के साथ बाहिर भूमिका गये हुए थे, तब जल्दी उठ जाने से उनको खडा रहना पडा, छोटे नाले को देखकर उन्हे वचपन की स्मृतिया हो आई और उस समय वहा बहते हुए छोटे नाने को मिट्टी की पाल बाधकर रोका। पात्री को पानी मे डाला और उसे नाव बनाकर खेलने लगे। साथी स्थविर सन्तो ने जब उसे पात्र तिराते देखा तब उनको शका हुई। भगवान् से पूछा—भगवन् ! आपका शिष्य अतिमुक्तकुमार श्रमण कितने भव करके सिद्ध होगा ? भगवान् ने उत्तर मे स्पष्ट कहा—आर्यो ! मेरा अन्तेवासी अतिमुक्त मुनि इसी भव से सिद्ध होगा। इसकी तुम अवहेलना, निन्दा

मत करो, किन्तु इसकी अग्रलान भाव से वैयावृत्य करो ।

(भगवती शतक ५ उद्देशक ४)

प्रश्न ६ अतिमुक्त (एवता) कुमार ने जब दीक्षा ली तब कितने वर्ष के थे और इतने लघु वय के बालक को भगवान् महावीर ने दीक्षा कंसे दी ?

उत्तर—टीकाकारों के मतानुसार एवता कुमार दीक्षा के समय लगभग सात वर्ष के थे । सूत्रकार ने उनकी दीक्षा के एक दो दिन पहले का चरित्र वर्णन करते हुए बताया है कि वे लड़के लड़कियों के साथ खेल रहे थे । इससे टीकाकार के मत को समर्थन ही मिलता है, क्योंकि बड़ी वय के लड़को का लड़कियों के साथ खेलना उचित नहीं जचता ।

जब एवता ने माता पिता से दीक्षा की आज्ञा मागी, तब उन्होंने उसको कहा कि हे पुत्र ! अभी तुम बच्चे हो, ना समझ हो । माता पिता के द्वारा कहे गये इस प्रकार के वचनों से भी एवता के दीक्षा के समय की अवस्था छोटी ही सिद्ध होती है ।

जब एवता ने माता पिता से आज्ञा मागी तब माता पिता को मूर्च्छा नहीं आई, यदि आज्ञा मागने के समय वे बालक न होते, समझदार होते तो माता को मूर्च्छा आ जाती जैसा कि अन्य माताओं को अपने पुत्र द्वारा आज्ञा मागने पर मूर्च्छा आ गयी थी । इस प्रसंग से भी एवता की अवस्था दीक्षा के समय छोटी ही सिद्ध होती है ।

श्री गौतम स्वामी को गोचरी के लिये घूमते देखकर एवता ने विना वदन किये ही उनसे पूछा था कि आप कौन हैं, और क्यों घूम रहे हैं ? एवता के इस प्रश्न से भी वे बालक ही

सिद्ध होते हैं। अन्यथा यदि वे बड़े होते तो विशेष सभव यही था कि वे बदन करते और ऐसा प्रश्न नहीं पूछते। इस प्रकार उनकी अवस्था सात वर्ष या कुछ आगे पीछे हो सकती है। पर धे वे आठ वर्ष से कम।

भगवान् आगम व्यवहारी होने से उनको लघु वय मे भी योग्य समझा अतः समय प्रदान किया। केवली के लिये इस प्रकार का नियम बधन कारक नहीं होता।

प्रश्न ७. गुरुदेव ! आप कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही सुख-दुःख का भोग करता है। किन्तु उसमें कोई न्यूनधिक नहीं कर सकता, फिर श्रीकृष्ण ने देवता का आराधन क्यों किया ? और देव से मागनी क्यों की ? क्या देव किसी को पुत्रादि दे सकते हैं ?

उत्तर—यह बात सही है कि जीव अपने कर्मानुसार ही सुख-दुःख भोगता है। बिना कर्म के कोई किसी को न सुख देता और न दुःख ही। भगवती सूत्र मे स्पष्ट कहा है कि—‘जीवा सय कड दुःख वेदेई, नो पर कड, नो तदुभय कड, दुःख वेदेइ।’ गौतम। जीव स्वकृत ही दुःख का वेदन करता है, पर कृत या उभयकृत दुःख का भोग नहीं करता। ससार के अन्य पदार्थ सुख-दुःख के वेदन मे निमित्त अवश्य बनते हैं। जैसा कि पिता-पुत्र के लिए और पुत्र पिता के लिये। पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए, स्वामी सेवक के लिये और सेवक स्वामी के लिये, सुखदायी प्रतीत होते हैं, परन्तु सही स्थिति यह है कि यहा भी पिता पुत्रादि मात्र निमित्त हैं। सुख-दुःख तो अपने कर्म के अनुसार ही होता है। ससार मे विविध मणि-रत्नादि मूल्यवान पदार्थ और रोगापहारी औषधिया विद्यमान हैं फिर

करने का उल्लेख है। तो क्या पूर्व समय में स्त्रियां समवसरण में नहीं बैठती थीं। साध्वियों के लिये भी ऐसा कोई चणन है क्या ?

उत्तर—शास्त्र में जहा-जहा भी किसी राणी या श्रेष्ठी पत्नी के सेवा का उल्लेख मिलता है, वहाँ स्पष्ट रूप में 'ठिया चैव पञ्जुवासइ' लिखा गया है। जैसे मृगावती और देवानन्दा के वर्णन में शास्त्रकार कहते हैं—'उदायण राय पुरओ कट्टु ठिइया चैव सपरिवारा सुस्सुसमणी विवरण पञ्जुवासइ'। भ० १-६। दोनों जगह साफ लिखा है कि मृगावती महाराज उदायन को और देवानन्दा ऋषभदत्त ब्राह्मण को आगे करके स्थित—खड़ी-खड़ी ही सेवा करने लगी। 'स्थितवा' शब्द का अर्थ बैठना करना, शब्द शास्त्र और टीकाकार दोनों की परम्परा से मेल नहीं खाता। टीकाकार ने स्थित का अर्थ किया है। 'ठिया चैवत्ति ऊर्ध्वस्थानस्थितैव अनुपविष्टे त्यर्थ'। अर्थात् ऊँचे आसन से स्थित अर्थात् खड़ी बिना बैठे ही सेवा करने लगी। फिर देशना के बाद ऋषभदत्त के लिये तो 'उट्टाए उट्टेइ' पद आता है। परन्तु देवानन्दा जब भगवान् की प्रार्थना करती है उस समय केवल—'सोच्चा निसम्म हट्टुट्टा समण भगव' पाठ आता है। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि देवानन्दा खड़ी थी इसलिये उसके वास्ते खड़े होकर बोलने का नहीं कहा गया।

क्या ऐसा भी कही विधान है कि—स्त्रियां समवसरण में बैठे नहीं। शास्त्र में बैठने का कही निषेध किया ही ऐसा विधिसूत्र तो नहीं मिलता पर जितने उदाहरण श्राविकाओं के आये हैं उन सब में खड़े रहने का ही उल्लेख है। मालूम होता है उस समय कोई भी श्राविका देशना श्रवण या सेवा

के लिये समवसरण में बैठती नहीं थी। साध्वियों के लिये खड़े रहने या बैठने का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता।

प्रश्न १२ 'ठिन्वा' पद से समवसरण में स्त्रियों के नहीं बैठने का टीकाकार आचार्यों ने जैसा अर्थ किया है, वैसा मानने का कोई खास कारण है या पुरुषों से स्त्रियों की हीनता बताने को उनके साथ पक्षपात बरता गया है ?

उत्तर—समवसरण में स्त्रियों के नहीं बैठने के उल्लेख में हमारी दृष्टि से निम्न कारण हो सकते हैं —

(१) प्रधान कारण ब्रह्मचर्य-गुप्ति और स्त्रियों का विनयातिरेक प्रतीत होता है। खुली भूमि पर पुरुषों के बैठने के स्थान पर स्त्रियों का बैठना ब्रह्मचर्य-गुप्ति में बाधक माना गया है। अतः समवसरण में स्त्रियाँ नहीं बैठती हैं।

(२) साध्वियों की तरह समवसरण में स्त्रियों के बैठने का स्थान स्वतन्त्र नहीं होता। कुछ तो अपने पति के साथ आती वे पति के पीछे ही खड़ी रहती और कुछ अलग आने वाली भी अपने परिवार के साथ यथोचित स्थान में खड़ी रह जाती।

(३) साधुओं के यहाँ स्त्रियों का ससर्ग अधिक नहीं बढ़े इसलिए भी उनके लिये उपदेश सुनकर खड़े-खड़े ही विदा हो जाने की परिपाटी रखी गयी हो।

(४) फिर भगवान् और सन्तों के आदरार्थ भी महिला-वर्ग ने खड़ा रहना ही स्वीकार किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा स्त्री जाति अधिक भक्ति प्रधान होती है। अतः उन्होंने समवसरण में सम्पूर्ण देशना तक खड़ी रहकर सुनने की ही परिपाटी अपनाई हो।

जो भी हो इतना सुनिश्चित है कि समवर्ण में गिन्यां नहीं बैठे इसके पीछे स्त्रियों की हीनता बताने जैसा कोई दृष्टिकोण नहीं है। और न यह बलात् लादी हुई व्यवस्था है। यह तो स्त्री एवं पुरुष दोनों के आध्यात्मिक हित को लक्ष्य में रखकर की गयी व्यवस्था है।

प्रश्न १३. गजसुकुमाल मुनि को ध्यान स्थित देखकर सोमिल को इतना द्वेष क्यों हो गया जिससे कि उसने गजसुकुमाल के सिर पर अङ्गारे रख दिये ?

उत्तर—सोमिल का गजसुकुमाल के साथ पूर्वजन्म का वैर था। लाखों भव पहले की बात है। गजसुकुमाल पूर्वभवं में एक राजा के यहाँ राणी का जीव था। राजा की दो राणियों में एक के पुत्र था और दूसरी को नहीं। दूसरी राणी प्रथम राणी के पुत्र पर बड़ा द्वेष रखा करती। उसने सोचा कि इसी पुत्र के कारण मेरा मान घटा और सपत्नी का मान बढ़ा है तो किसी तरह यह मर जाय तो अच्छा। एक बार जब राणी के पुत्र को सिर में वेदना हुई और वह वेदना से विकल होकर छटपटाने लगा तो दूसरी राणी प्रसन्न हुई। उसने अवसर का फायदा उठाने के लिये पहली राणी से कहा—“अच्छा लाओ, मैं इस प्रकार के दर्द को मिटाने का उपाय जानती हूँ। अभी इसको ठीक कर देती हूँ।” भद्र स्वभाव की होने से पहली राणी ने अपना पुत्र दूसरी को सम्भला दिया। राणी ने उड़द के आटे की रोटी गर्म करके बच्चे के सिर पर बांध दी। बालक की वेदना तीव्र हो गयी। वह इस बढ़ती हुई वेदना से छटपटाकर अल्पकाल में ही काल कर गया। सोमिल उस बालक का जीव था। गजसुकुमाल के जीव ने दूसरी राणी के रूप में बालक के सिर पर द्वेष से गर्म रोटी

खण्ड साधना करते हुए भरत महाराज का जब चिलातो के अनार्य खण्ड में जाना हुआ तो अनार्यों ने मुकाबला लिया। पराजित होने पर कुल-देव का स्मरण किया। उन्होंने आकर कहा कि ये चक्रवर्ती हैं। इनको हराना हमारा काम नहीं है। हम तुम्हारे प्रीत्यर्थ कुछ उपद्रव करते हैं। सात दिन तक देव मूसला-धार बरसते रहे किन्तु भरत के मन में विचार आते ही जब सेवक देव उपस्थित हुए तो म्लेच्छों के कुल देव क्षमा माग कर चले गये। चिलातो को भरत का शरण स्वीकार करना पड़ा। अतः कृष्ण का देवाराधन माता के सन्तोषार्थ ही समझना चाहिये।

प्रश्न ८ देव वास्तव में कुछ नहीं देते तब सुलसा को देवकी के पुत्र कैसे दिये, क्या यहा भी कर्म ही कारण है ?

उत्तर—सुलसा को देवकी के पुत्र देने की बात में भी रहस्य है, सुलसा और देवकी के बीच कर्म का कर्ज था एव देव उस बीच में आरोपी माना गया था, अतः उसने देवकी के पुत्र लेकर सुलसा को पहुँचा दिये। यदि सुलसा का लेना नहीं होता तो देव यह परिवर्तन भी नहीं कर पाता। सुलसा ने पुरुषार्थ किया उसके फलस्वरूप उसके पूर्व जन्म के रत्न हरिऔगमेपी के निमित्त से मिले गये। इसमें भी उसके कर्मानुसार फल भोग में देव मात्र निमित्त बना है। मुख्य कारण कर्म ही है। मूल से यदि देव में कुछ देने की शक्ति होती तो सुलसा के मृत पुत्रों को भी जीवित कर लेता, किन्तु वैसा नहीं कर सका।

प्रश्न ९ सम्यग्-दृष्टि श्रावक के लिए धार्मिक दृष्टि से देवाराधन करना और उसके लिये कोई तपाराधन करना उचित है क्या ?

उत्तर—धार्मिक दृष्टि से सम्यग् दृष्टि देवाधिदेव अरि-हत को ही आराध्य मानता है। अन्य सभी देव ससारी है। वे

प्रमोद भाव से देखने योग्य है। दृढधर्मी व्रती श्रावक ससार के सकट में भी उनकी सहायता नहीं चाहता, और उनको वदन नहीं करता। अरणाक श्रावक ने प्राणान्त सकट में जहाज उलटने की स्थिति आने पर भी कोई देवाराधन नहीं किया। उलटे उसकी दृढता से प्रतन्न होकर देव दिव्य कुडल की जोड़ी प्रदान कर गया। अतगड का सुदर्शन श्रावक भी मुग्दर-पाणि यक्ष के सम्मुख सागारी अनशन कर ध्यान में स्थित हो गया, पर किसी देव की सहायता ग्रहण नहीं की।

सम्यग् दृष्टि का दृढ निश्चय होता है कि असंख्य देवी देवों का स्वामी इन्द्र जिनका चरण सेवक है उन देवाधिदेव अरिहन्त की उपासना करने वाले को अन्य किसकी आराधना शेष रहती है। चितामणि को पाकर भी फिर कोई काच के लिये भटके तो उसे बुद्धिमान् नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न १० चक्रवर्ती खड साधन करते समय देवाराधन के लिये अष्टम तप करते हैं और श्रावको के लिये कुलदेव के पूजा की बात कही जाती है तो क्या वह ठीक नहीं है। उसका मर्म क्या है।

उत्तर—चक्रवर्ती छ खड साधना के समय १३ तले करते यह खड साधन की व्यवस्था है। इसमें किया गया अष्टम भी धार्मिक तप नहीं है, जैसे मडलपति राजाओं को शस्त्र बल और सैन्य बल से प्रभावित कर भुकाया जाता है। ऐसे ही अमुक खड या देवकी साधना में अष्टम तप के बल से उनको आकृष्ट एव प्रभावित किया जाता है। यह उनका शाश्वत व्यवहार है। सम्यग् दृष्टि उन देवों को वदनीय नहीं मानता।

श्रावको के नित्य कर्म में कही भी कुल देव की पूजा का विधान नहीं मिलता, बल्कि आनंद आदि श्रावको ने तो यह

स्पष्ट कर दिया है कि मुझे अरिहत देव के सिवाय अन्य किसी देव को वदन करना नहीं कल्पता । जैसा कि 'नन्नत्य अरिहते वा अरिहत-चेइयाणिवा' । अधिक से अधिक वे कुल देव को मित्र-भाव से देख सकते हैं । सम्यग्-दृष्टि या शासन रक्षक देवों का भी मित्र भाव से ही स्मरण किया जाता है । आराध्य या वदनीय तो अरिहत देव ही हैं । सम्यग्-दृष्टि को अधिक से अधिक अरिहत देव का ही स्मरण-भजन और आराधन करना चाहिये । इनके चरणों में अन्य सब देव आ जाते हैं । इनकी आराधना से धर्म का धर्म और अशुभ कर्म की निर्जरा से भौतिक लाभ भी अनायास ही मिल जाता है । यह अपने ही सत् पुरुषार्थ का फल है । कविवर विनयचन्द्र जी ने कहा है कि—आगम साख सुणी छे एहवी, जो जिन सेवक होय हो, सोभागी । आशा पूरे तेनी देवता, चोसट इन्द्रादिक सोय हो सो० । श्रावक में यह दृढ विश्वास होने के कारण ही वह किसी सरागी देव की भक्ति नहीं करता, हा, कौटुम्बिक शान्ति के लिये वह किसी कुलाचार को कुलाचार के रूप में करे यह दूसरी बात है । यहा कुटुम्ब की पराधीनता है फिर भी वह किसी कुल देव की पूजा को पुण्य या धर्म नहीं मानता । इस प्रकार के सहाय को अपनी दुर्बलता मानता है ।

सम्यग्-दृष्टि-धार्मिक दृष्टि से केवल अरिहत देव को ही आराध्य मानता है । अन्य सरागी देव को धर्म बुद्धि से मानना, पूजना या उनके लिये कोई तप करना सम्यग्-दृष्टि उचित नहीं मानता, व्यवहार में जो चक्रवर्ती के खड-साधन के तैले और भिन्न देव के स्मरणार्थ कोणिक या अभयकुमार का तप भी अविरत दशा में ही सभव होता है क्योंकि व्रती सम्यग्-दृष्टि देव या दानव का भी सहयोग नहीं चाहता उनके लिये

शास्त्र में असहेज्ज कहा है (कुल परम्परा से किसी के घर में देवपूजा चालू भी हो तो ब्रती श्रावक उसको केवल कुलाचार ही मानता एव समझता है) मिथ्यात्वी देवी-देव की मान्यता तो गलत है ही, पर श्रावक सम्यग्-दृष्टि देव को भी आराध्य बुद्धि से नहीं पूजता। अभयकुमार ने माता के दोहद पूरा करने को तप किया, पौषघशाला में ब्रह्मचारी होकर देव का स्मरण करता रहा फिर भी सकाम होने से उन्होंने इसको धर्म करणी नहीं समझा। यह स्वार्थतप या सकाम तप ही माना गया। सकाम तप में भी धूप दीप आदि का प्रयोग नहीं करके केवल तप और शान्ति के साथ में मन में चिन्तन करते हुये देव को वश में करना उस समय की खास ध्यान देने योग्य बात है।

ब्रती साधक तो निष्काम तप करते हैं उन्हें सहज ही तपोबल से कुछ लब्धिया उत्पन्न हो जाती हैं और बिना चाहे देव भी उनकी सेवा करने लगते हैं जैसे हरिकेशी की तिनदुक-यक्ष सेवा करता रहा। कामदेव के चरणों में यक्ष नत मस्तक हुआ।

सम्यग्-दृष्टि जन्म-मरण के बन्धन काटने को तप नियम करता है। देवी, देव स्वयं जन्म-मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। हर्ष-शोक, सयोग-वियोग और सुख-दुःख उनको भी भोगने पड़ते हैं तब भक्ति करने वालों को वे दुःख मुक्त क्या कर सकेंगे। अतः सम्यग्-दृष्टि वीतराग परमात्मा को ही आराध्य मानता है क्योंकि वे हर्ष-शोक एव दुःख से मुक्त हो चुके हैं।

प्रश्न ११ महाराणी देवकी जब भगवान् नेमनाथ को बदन करने को गईं। तब समवसरण में उसके खड़ी-खड़ी सेवा

फिर भी नियतकाल में होने से इसको आयु का टूटना या अकाल मरण नहीं कह सकते ।

दूसरा यह भी है कि जिसका जिस कारण से मरण निश्चित हो गया है उसका उस निमित्त से मरण होना काल मरण ही कहा जायेगा अकाल मरण नहीं । अतः इसको सैद्धान्तिक वाधा नहीं समझनी चाहिये ।

प्रश्न १५ श्रीकृष्ण के समय में भिन्न जाति के लड़के-लड़कियों में भी क्या विवाह सम्बन्ध होता था ? ब्राह्मण पुत्री सोमा को गजसुकुमाल के लिये कन्याओं के अन्तःपुर में रखने का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—प्राचीन समय के उदाहरणों को देखने से ज्ञात होता है कि उस समय जातीय वधन इतने कठोर नहीं थे, अथवा तो उसमें खास व्यक्ति-विशेष या योग्यता को अपवाद माना जाता था । चक्रवर्ती के लिये विद्याधर कन्या से पाणिग्रहण का उल्लेख मिलता है । राजाओं को अन्य कुल की सुलक्षण कन्या से भी प्रीति हो जाती तो उनके लिये वह कथनीय नहीं माना जाता । संभव है श्रीकृष्ण द्वारा सोमा का चयन भी इसी आधार से किया गया हो । अधिकता से उस समय क्षत्रिय पुत्रों का राज कन्याओं से और श्रेष्ठी पुत्रों का समान कुल वाली श्रेष्ठी कन्याओं से ही पाणिग्रहण का उल्लेख आता है । पाणिग्रहण के समय समान-कुल शील वाली कन्याओं से ऐसा उल्लेख मिलता है, जो प्रायः सजातीय में ही संभव हो सकता है । कुलशील का महत्त्व होने से उस समय जातीय वधनों को संभव है इतना कड़क नहीं किया गया हो । परंतु जब साधारण लोग रूप पर मुग्ध होकर हीनकुलों के साथ भी

मोह भावना से संवध करने लगे तब उम पर कडाई में प्रतिवध करना आवश्यक हो गया हो । उचित समझ कर विक्रम राजा ने जातीय व्यवस्था का निर्वाण किया, जो भी हो स्वेच्छाचार में कुलशील का विना विचार किये डबर उबर मवव करना अहितकर है । पूर्व समय में न स्वेच्छाचार इतना उठा था और न जातीय बंधन का ही आग्रह था । योग्यता और प्रेम से एक जाति का अन्य जाति में भी सञ्च होता था । समान शील और मस्कार का प्राय ध्यान रखा जाता था ।

प्रश्न १६ द्वारिका का विनाश क्यों हुआ और नगरी के विनाश में निमित्त न बनूँ, इस विचार से ऋषि द्वीपायन द्वारिका नगर छोड़कर बहुत समय तक दूर ही घूमते रहे । फिर उनको विनाश में निमित्त क्यों माना ?

उत्तर—मैं विदित बात है कि ससार के दृश्यमान् पदार्थ मत्र आगे-पीछे नाशवान् है, यही कारण है कि श्री कृष्ण ने देव-निर्मित द्वारिका को भी नाशवान् समझकर नाश के कारणों को जानना चाहा । भगवान् ने द्वीपायन के द्वारा जब द्वारिका नगरी का नाश बतलाया तब श्रीकृष्ण ने नगरी के मरक्षण हेतु यह घोषणा करवाई कि कोई भी द्वारिकावासी यदि नगरी का कुशल चाहता है तो दाट-मास का मेहन नहीं करे । और नश्वर तन से लाभ लेने तथा अशुभ कर्म को काटने के लिये शक्तिपूर्वक कुछ न कुछ तप नियम का मावन अवश्य करे । मद्य के कारण द्वारिका का दाह होगा इसलिये नगरी का मारा मद्य इकट्ठा करवाके जंगल में फिक्वा दिया । द्वीपायन ऋषि जो वही नगरी के बाहर आश्रम में कठोर तप कर रहा था । बहून् दिनों के पश्चात् एक दिन यादव कुमार वन-विहार को निकले और जंगल में भूल से गृहे हुए मद्य घट

को देखकर पान कर गये । मद्य का स्वभाव सहज ही भान भुलाने का होता है, यादव कुमार नशे में उन्मत्त होकर नगर की ओर चले तो रास्ते में द्वीपायन ऋषि को देख क्रुद्ध होकर वे ककर-पत्थर फेकने लगे और बोले यही विचारा द्वीपायन हमारी द्वारिका को जलायेगा । द्वीपायन ने कुमारो द्वारा पुन-पुन किये गये अपमान और अवहेलना वचन से क्रुद्ध होकर निदान कर लिया कि तपस्या का फल हो तो मैं यादव सहित द्वारिका को जलाने वाला बनू । कुमारो का नशा उतरा तो उन्होंने श्रीकृष्ण से आकर सारी बात कह सुनायी । कृष्ण भी बलदेव के साथ द्वीपायन के पास गये और उसको शान्त करते हुए निदान नहीं करने का निवेदन करने लगे । द्वीपायन ने कहा—मैंने निर्यण कर लिया है—केवल तुम दोनों भाइयो को नहीं मारूंगा । यह वचन देता हूँ ।

अन्त समय में आयु पूर्ण कर वह द्वीपायन अग्निकुमार देव के रूप में उत्पन्न हुआ और वैरानुबन्ध के कारण नगरी पर द्वेष करने लगा । किन्तु नगरी में आयविल तप चल रहा था । कोई उपवास, कोई बेला तो कोई आयम्बिल जरूर करता । तप के प्रभाव से इधर-उधर चक्कर काटने पर भी देव का जोर नहीं चला और पूरे ग्यारह वर्ष वीत गये । जब लोगो ने देखा कि अब तो समय टल गया है, वस मन-माने मद्य पीने लगे और तप का साधन बंद कर दिया । देव अपने वैर वसुली का समय देख रहा था । ज्योही तपस्या बंद हुई भूमि-कप, उल्कापात आदि उपद्रव होने लगे और नगरी पर अग्निवर्षा शुरू हो गई । रोने तथा चिल्लाने पर भी किसी को कोई सहायता देने वाला नहीं मिलता । कृष्ण और बलभद्र बड़े दुःखित हृदय से माता-पिता को निकालने लगे, वसुदेवजी एव

देवकी को रथ में बिठाकर दोनों भाई रथ खेंचते हुए चले पर दैववशात् उनको भी नहीं निकाल सके, आखिर अनशन कर दोनों माता-पिता ने द्वीपायन द्वारा वर्षा की गई आग में जलकर आयु पूर्ण किया और स्वर्ग के अधिकारी बने ।

प्रश्न १७ स्थानाग सूत्र स्थान दस के अनुसार अन्त-कृत दशा सूत्र में १ नमि, २ मातंग, ३ सोमिल, ४ राम-गुप्त, ५ सुदर्शन, ६ जमालि, ७ भगाली, ८ क्रिकम, ९ चिल्लक और १०, अम्बड-पुत्र फाल, इन दस जीवों का वर्णन होना चाहिये, वह इस अन्तगड सूत्र में क्यों नहीं ?

उत्तर—भगवान् महावीर के ११ गणधरो की द्वादशाग सबधी नव वाचनाए हुई है, जैसे—आदि के सात गणधरो की सात, आठवें नवमे गणधर की आठवी और दसवे ग्यारहरे गणधर की नवमी, इनमें किसी एक वाचना में प्रश्नगत दस जीवों का वर्णन हो सकता है । किन्तु वर्तमान वाचना उस वाचना से अन्य, सुधर्मास्वामी की वाचना है, अतः इसमें उन दस जीवों का वर्णन नहीं मिलता । इसको वाचनान्तर समझना चाहिये ।

तीर्थंकर, अन्त करने वाले अनेकों जीवों का वर्णन सुनाते हैं, उनमें से किसी वाचना में गणधरो द्वारा किन्हीं का वर्णन गून्था जाता है । दूसरे किसी वाचना में उनसे भिन्न किन्हीं दूसरों का ही वर्णन किया जाता है, अतः वर्तमान अन्तगड सूत्र में उनका नहीं मिलना आपत्तिजनक नहीं समझना चाहिये ।

प्रश्न १८ अन्तकृत दशांग में श्रीकृष्ण को आगामी बारहवां तीर्थंकर होना बताया है, जबकि समवायाग में भावी

चौबीस तीर्थकरो के नाम और उनसे पूर्व भव के जो नाम बताये हैं उनकी गिनती करने पर कृष्ण आगामी तेरहवें तीर्थकर ठहरते हैं । इसका समन्वय क्या है ?

उत्तर—श्री वासुपूज्य स्वामी की प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभनाथ से गणना की जाय तो वे बारहवे होते हैं और चौबीसवे श्री महावीर स्वामी को प्रथम मानकर पीछे से गणना की जाय तो वासुपूज्य तेरहवे आते हैं । वैसे ही श्रीकृष्ण को भावी तीर्थकरो में प्रथम तीर्थकर श्री महापद्म की ओर से (पूर्वानुपूर्वी से) गणना की जाय तो वे तेरहवे आते हैं और अंतिम तीर्थकर श्री अनन्तविजय की ओर से (पश्चादनुपूर्वी) से गणना की जाय तो बारहवे होते हैं ।

अतकृत दशाग में पिछली गिनती से बारहवे तीर्थकर होना बताया तथा समवायाग में पहली गिनती से तेरहवे स्थान पर उन्हें रखा हो ऐसा सभव प्रतीत होता है । इस प्रश्न के समाधान में श्रमण परंपरा में प्राचीन समय से ऐसी ही मान्यता चली आ रही है ।

प्रश्न १६ अन्तगड्दशा सूत्र में अर्जुन माली के द्वारा जो ५ मास १३ दिन में ११४१ हृत्यार्ये हुई, उसका पाप अर्जुन को लगा या यक्ष को ?

उत्तर—अर्जुन द्वारा की गई हृत्याओं में अर्जुन और मुद्गरपाणी यक्ष के अतिरिक्त अन्य भी सहयोगी होते हैं । छोटी गोठिले पुरुष जो कुछ अच्छा या बुरा करे वह अच्छा ही किया, ऐसा मानकर उपेक्षा करने वाले नगर जन और अधिकारी भी इस हृत्या की अपेक्षा से समर्थक माने जा सकते हैं, क्योंकि यदि वे आरम्भ में ही इसका विरोध करते तो इस

प्रकार हत्या का कारण ही उपस्थित नहीं होता, अतः कुछ पाप नगरवासियों को भी लगना चाहिये ।

फिर राजा ने उन्हें इस सबध में झूट दे रखी थी, यद्यपि राजा को भविष्य में इस प्रदत्त वर से ऐसी हत्याएँ होने की कल्पना नहीं रही होगी, फिर भी उनका ऐसा वरदान इस हत्या में निमित्त तो बना ही । इसलिए राजा को भी पाप अवश्य लगना चाहिये ।

ललित गोष्ठी के छोटी पुरुषों ने अर्जुन को बाधकर बन्धुमती के साथ भोग भोगना आरम्भ किया, जिससे अर्जुन माली उत्तेजित हुआ और यक्ष को याद किया । अतः कुछ पाप उन्हें भी लगना चाहिये ।

बन्धुमती ने अर्जुन माली को बाधने के समय यदि डधर-उधर किमी को बुलाने करने आदि का कहा होता और शील रक्षा के लिए भागने चिल्लाने का प्रयत्न किया होता या पति के सामने ही वह इस प्रकार के व्यभिचार में सम्मिलित न हुई होती तो अर्जुन माली को इतनी अधिक उत्तेजना नहीं मिलती, अतः बन्धुमती का भी इस सबध में कुछ अपराध मानना पड़ता है ।

अपने बधन और अपनी स्त्री के साथ किये गये व्यभिचार में क्रुद्ध हो अर्जुन माली ने मुद्गरपाणी यक्ष की मूर्ति के प्रति ऐसे अविश्वास पूर्ण विचार प्रकट किये जिसमें प्रेरित होकर ही मुद्गरपाणी यक्ष आया, अतः अर्जुन माली को तो पाप लगा ही ।

अर्जुन माली के उत्तेजना पूर्ण विचारों से मुद्गरपाणी यक्ष आवेश में आ गया और उसने आते ही सात प्राणियों की

हत्या कर दी और आगे वह १६३ (एक सौ त्रेसठ) दिन तक हत्या करता रहा। अतः यक्ष को भी पाप लगा।

अर्जुन माली तीव्र कषाय के आधीन हो सबसे अधिक उत्तेजित हुआ और यक्ष का भी मूल प्रेरक रहा अतः यक्षावेश में पराधीन हो जाने पर भी मूल प्रेरणा के कारण उसे सबसे अधिक वध करने वाला मानना चाहिये। फिर जैसा ज्ञानी स्वीकार करे वही तथ्य है।

प्रश्न २० शत्रुजय पर्वत पर अतकृत सूत्र के अनुसार कई जीव सिद्ध हुए हैं, फिर उसे तीर्थ मानने में क्या बाधा है ?

उत्तर—शत्रुजय पर्वत पर अनेक जीवों के सिद्ध होने की बात सही है। पर ऐसी भूमि कौनसी है जहाँ कोई जीव सिद्ध न हुआ हो। अतः जीवों के सिद्ध होने भर से किसी क्षेत्र को तीर्थ मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। तीर्थ का अर्थ तारने वाली भूमि या जल से ऊपर का भूभाग है अर्थात् जिसके द्वारा तिरा जाय उसे तीर्थ कहते हैं। तिराने वाली भगवान् की वाणी, 'तीर्थ' है या उसे सुनाने वाले साधु, साध्वी, श्रावक एवं थाविकाएँ तीर्थ हैं। परन्तु शत्रुजय पर्वत किसी को तिराता नहीं, अतः उसे तीर्थ नहीं माना जा सकता। सती के चरण स्पर्श और साधना से वह पवित्र भूमि कही जा सकती है। एकान्त शान्त होने से यह भी कल्याण साधन में निमित्त हो सकती है वन्दनीय नहीं।

यदि जीवों के सिद्ध होने के कारण ही किसी क्षेत्र को तीर्थ मानना हो तो उस सम्पूर्ण अर्द्ध द्वीप को ही तीर्थ मान लेना चाहिये क्योंकि अर्द्ध द्वीप की एक अंगुल के असख्यातव

भाग जितनी भूमि भी ऐनी नहीं है जहा से कोई सिद्ध न हुए हो। पत्रवर्णा सूत्र के सोलहवे पद मे इसका स्पष्ट उल्लेख है।

शत्रु जय को तीर्थ मानने वाले भी भगवान् नेमिनाथ के शासन मे शत्रु जय पर कई जीव सिद्ध हुए, इसलिए ही शत्रु जय को तीर्थ नहीं मानते हैं किन्तु अनादि काल से इसको तीर्थ मानते आए, इनलिए तीर्थ मानते हैं। परन्तु यह मान्यता मिथ्या है क्योंकि शत्रु जय पर्वत शाश्वत नहीं है। अशाश्वत पर्वत अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे की समाप्ति पर उठने लगते हैं और पाचवे आरे की समाप्ति पर पुन भूमिसात् हो जाते हैं। मध्यकाल मे भी इनमे घट-बढ, वनाव-विगाड और चल-विचलता होती रहती है। फिर शास्त्र मे मागध, वरदाम और प्रभाम को जैसे तीर्थ नाम से बतलाया वैसे शत्रु जय को शास्त्र मे कही तीर्थ नहीं कहा है। यह तो पाश्चात्कालवर्ती लोगो ने सामाजिक प्रभुता और क्षेत्र की महिमा बढाने को तीर्थ रूप मे इसकी स्तवना की है।